



कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

विवरण-पत्रिका

दाखिला सत्र

2022-23

ऑनलाईन दाखिला फार्म भरने की अवधि:

30.07.2022 से 16.08.2022

ऑनलाईन दाखिला फार्म भरने के लिए निम्नलिखित वैबसाईट पर जाएं:

[दाखिला वैबसाईट:-www.admissions.itiharyana.gov.in](http://www.admissions.itiharyana.gov.in)

[विभागीय वैबसाईट:-www.itiharyana.gov.in](http://www.itiharyana.gov.in)

नोट: प्रार्थी दाखिला फार्म भरने से पहले विवरण पत्रिका को पूर्ण रूप से पढ़ें।

प्रार्थी आनॅलाईन दाखिला फार्म भरते समय निम्नलिखित दस्तावेज (जो लागू हों) अपने पास तैयार रखें।

क्र० सं०	प्रमाण/दस्तावेज	उद्देश्य
1	अपना निजी मोबाईल नं०, आधार कार्ड नंबर एवं ई-मेल आई. डी.	दाखिले के लिए अनिवार्य।
2	परिवार पहचान पत्र	दाखिले के लिए अनिवार्य।
3	शैक्षणिक योग्यता (8वीं/10वीं/12वीं) के प्रमाण-पत्र	योग्यता एवं आयु निर्धारण हेतु।
4	जाति प्रमाण -पत्र SC/SC deprived/ BCA/ BCB/PH/ EWS (of General category) /EX Serviceman (ESM) etc.	आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु।
5	यदि 8वीं/10वीं/12वीं में आपके प्राप्तांक CGPA में हैं तो प्रतिशत में प्राप्त अंक गणना करके रखें।	मैरिट में सही स्थान प्राप्त करने हेतु।
6	अपना नवीनतम फोटो।	फार्म में अपलोड करने हेतु।
7	हरियाणा स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र/अडोमोसाईल	हरियाणा कोटे में आरक्षण हेतु।
8	PayTm/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ नेट बैंकिंग /गूगल पे इत्यादि की सुविधा।	ऑनलाईन काउंसलिंग फीस (50रु० एस०सी०, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा 100 रु० अन्य वर्ग के प्रार्थियों के लिए) एवं दाखिला फीस जमा करवाने हेतु।
9	पिताविहीन/अनाथ/विधवा/विधवा की संतान का प्रमाण-पत्र	मैरिट में अतिरिक्त अंक हेतु।
10	संस्थानों की सूची जहां आप दाखिला लेना चाहते हो।	संस्थानों की जानकारी एवं चयन हेतु।
11	व्यवसायों की सूची (प्राथमिकता के आधार पर घटते क्रम में)।	व्यवसायों की जानकारी एवं चयन हेतु।
12	अपना बैंक खाता नं० IFSC कोड इत्यादि।	दाखिले उपरांत स्कोलरशिप आवेदन हेतु।
13	ऑनलाईन दाखिला आवेदन पत्र में उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय/संस्थान के अधिकतम 15 विकल्प भर सकते हैं। उम्मीदवार केवल वही विकल्प भरें जिनमें दाखिला लेना है क्योंकि सीट आंबटित होने उपरान्त यदि छात्र/छात्रा ने दाखिला नहीं लिया तो उसे आगामी दाखिला काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। यद्यपि यदि वह भाग लेना चाहता तो छात्र को 500 रु व छात्रा को 250 रु० जुर्माना राशी भरनी होगी।	

- दाखिला फार्म भरने से पहले अपनी फोटो व दस्तावेजों को कम्प्यूटर में स्कैन करके रखें ताकि बिना विलम्ब अपलोड किए जा सकें।
- प्रार्थी की फोटो का साईज 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए।
- इच्छुक उम्मीदवार उपरोक्त दस्तावेजों का प्रबंध करने उपरांत विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध नमूना दाखिला फार्म को अभ्यास के लिए अवश्य भर कर देखें।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

1. परिचय:

औद्योगिक इकाईयों की निरन्तर बढ़ती के कारण विभिन्न उद्योगों में निपुण कारीगरों की मांग निरन्तर बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने तथा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा युवक-युवतियों को कौशल/शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि औद्योगिक इकाईयों हेतु कुशल कारीगर उपलब्ध हों व प्रशिक्षण उपरान्त युवक-युवतियाँ अपना स्वरोजगार स्थापित करने के योग्य भी बनें। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सह-शिक्षा), राजकीय (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा मूक एवं बधिर कल्याण केन्द्र, गुरुग्राम के माध्यम से कौशल/शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की व्यवस्था है:-

हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक दृष्टि में	
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सह-शिक्षा संस्थान)	149
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (केवल महिलाओं के लिए)	36
राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	07
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सह-शिक्षा संस्थान)	204
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केवल (महिलाओं के लिए)	03
कुल राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	392
संस्थानों में संचालित कुल व्यवसाय जिनमें (सत्र 2022-23 में) प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है	87
संस्थान-वार/व्यवसाय-वार सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों का विवरण	दाखिला पोर्टल पर देखें।

विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है:-

- (क) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
- (ख) शिक्षता प्रशिक्षण योजना

1.1 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsman Training Scheme)

उद्देश्य :

- (क) विभिन्न व्यवसायों में उपयोगी एवं कुशल कारीगर उपलब्ध करवाना।
- (ख) कारीगरों को उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण प्रदान कर औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को उंचा उठाना।
- (ग) स्व-रोजगार के योग्य बनाना।

1.2 शिक्षता प्रशिक्षण योजना (Apprenticeship Training Scheme)

इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक आईटीआई उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों के भिन्न-भिन्न व्यवसायों में व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाएं देने से है ताकि वे कार्य में उच्च दक्षता हासिल कर सकें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पास शुद्धा छात्र-छात्राओं को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा उन्हें आईटीआई में प्रशिक्षण पूर्ण करने उपरांत प्राइवेट/सरकारी प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस लगाने का अवसर प्रदान किया जाता है। देश में शिक्षता अधिनियम 1961 लागू हुआ जिसके अन्तर्गत सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर अनुसार प्रत्येक नामांकित व्यवसाय में शिक्षु लगाना कानूनी दायित्व है। वर्तमान में शिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम देय वजीफे की संशोधित दरें दिनांक 25 सितम्बर 2019 से निम्न प्रकार से लागू है:-

2.

क्र०	श्रेणी	न्यूनतम वजीफे (stipend) की निर्धारित रकम
1	एक वर्षीय आईटीआई पास आउटस	रु० 7,700 प्रति माह
2	दो वर्षीय आईटीआई पास आउटस	रु० 8,050 प्रति माह

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत दाखिला:-

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में स्थित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2022-23 के दाखिले हेतु राज्य स्तरीय ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न व्यवसायों (ट्रेडों) में दाखिले हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारक युवक तथा युवतियां विभाग की वेबसाईट www.admissions.itiharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) में केवल युवतियां ही दाखिला ले सकती हैं तथा सह-शिक्षा संस्थानों में युवतियों के लिए 30 प्रतिशत सीट आरक्षित है। दाखिले के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से उत्तीर्ण की गई हो अथवा हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड/यूनिवर्सिटी से प्राप्त अथवा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के समकक्ष होनी अनिवार्य है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के समकक्ष अन्य राज्य के शिक्षा बोर्ड की सूची विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

2.1 दाखिले हेतु योग्यताएं:-

- (i) शैक्षणिक योग्यता तथा पात्रता:- अभियान्त्रिकी (Engineering) एवं गैर अभियान्त्रिकी (Non-Engineering) व्यवसायों में दाखिले हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता Annexure-A के अनुसार होनी अनिवार्य है। यदि कोई प्रार्थी Annexure-A के अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं करता तो वह दाखिले का पात्र नहीं होगा।
- (ii) पहले से ही पूर्णकालिक रूप से किसी संस्थान/प्रतिष्ठान में कार्यरत/नियुक्त प्रार्थी अपने नियोक्ताओं से अध्ययन अवकाश प्राप्त किए बिना दाखिले के पात्र नहीं होंगे। इसके लिए दाखिले के समय नियोक्ता द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा प्रार्थी का आवेदन/दाखिला रद्द कर दिया जायेगा, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
- (iii) प्रार्थियों को व्यवसाय विशेष जिसमें वह दाखिल/प्रशिक्षण ग्रहण करने के इच्छुक हैं, के लिये निर्धारित मापदण्डों अनुसार शारीरिक सक्षम होना अनिवार्य है। इस बारे व्यवसायवार सूची (indicating suitability to Differently abled persons) विभागीय वेबसाईट www.admissions.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है तथा दिव्यांग प्रार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस दर्शाई गई सूची अनुसार ही अपने व्यवसाय का चयन करें।
- (iv) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे व्यवसाय पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम हैं तथा छात्र प्रशिक्षण की कार्य अवधि में किसी अन्य विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई गई तो प्रार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जायेगा।
- (V) ऐसे व्यवसाय जिनमें दाखिले हेतु न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, उन व्यवसायों में दसवीं पास उम्मीदवार यदि उपलब्ध हैं तो उन्हें दाखिला में वरीयता दी जायेगी। दसवीं पास उम्मीदवार उपलब्ध न होने की अवस्था में ही आठवीं पास उम्मीदवारों का दाखिला किया जायेगा।

2.2 आयु

व्यवसायों में दाखिले हेतु प्रार्थी की आयु 01.09.2022 को कम से कम 14 वर्ष होनी अनिवार्य है। आयु की ऊपरी सीमा में पूर्णतया छूट है।

2.3 दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (Dual System of Training)

इस प्रणाली के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सहभागिता से औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्र/छात्राओं को बेहतर व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग संस्थान में न करवाते हुए industry premises में करवाई जाती है। इस प्रकार दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम अनुसार केवल थ्युरी भागका अध्ययन संस्थानस्तर पर करवाया जाता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग industry premises में होने के कारण प्रशिक्षणरत् छात्र-छात्राओं को अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही उद्योगों एवं आधुनिक मशीनरी पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो जाता है जो उन्हें भविष्य में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त करवाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भिन्न-2 व्यवसायों में 'दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली' के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौते किए गए हैं। सत्र 2022-23 में इस प्रणाली के अन्तर्गत दाखिले के लिए उपलब्ध संस्थानवार व्यवसाय यूनिटों की सूची Annexure-'B' पर उपलब्ध है। इन व्यवसाय यूनिटों में दाखिला प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें एक वर्षीय कोर्स के लिए 3-6 माह अवधि का तथा दो वर्षीय कोर्स के लिए 6 से 12 माह अवधि का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रदान किया जाएगा व कोर्स का थ्युरी पाठ्यक्रम संबंधित संस्थान में पढ़ाया जाएगा। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत दाखिले हेतु प्रार्थी को आयु एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी अनिवार्य है:-

- (i) अतकनीकी व्यवसायों (Non Hazardous Industries) में दाखिले हेतू प्रार्थी की न्यूनतम आयु 01.09.2022 को 14 वर्ष तथा तकनीकी व्यवसायो (Hazardous Industries) में दाखिले हेतू प्रार्थी की न्यूनतम आयु 01.09.2022 को 17 वर्ष 9 मास होनी चाहिए।
- (ii) प्रार्थी शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए तथा On Job Training पर जाने से पहले वे संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी किया गया मूल मैडिकल प्रमाण-पत्र जिसमें की Blood Pressure, Chest X-ray, B.M.I., Colour Blindness, Physical disability etc. की जांच की गई हो, को प्रस्तुत करेंगे।
- (iii) On the Job Training के लिए दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत दाखिला प्राप्त प्रार्थियों की सूझबूझ एवं मनोभाव का विश्लेषण संबंधित प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है जिसके लिए प्रत्येक प्रार्थी से पारस्परिक विचार-विमर्श किया जाएगा। इस विचार-विमर्श के आधार पर ही किसी प्रार्थी को On the Job Training के लिए चुना जाएगा अथवा प्रार्थी को अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।
- (iv) विभाग द्वारा दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत दाखिल एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे छात्र/छात्राओं के लिए दो लाख रुपये तक का स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा पालिसी का प्रावधान करवाया जाता है।
- (v) यदि कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान सत्र के मध्य में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभाग के साथ किये गये समझौते को समाप्त करता है, तो सम्बन्धित व्यवसाय को डी0एस0टी0 से सामान्य प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तित करते हुए पाठ्यक्रम अनुसार थ्युरी भाग के अध्ययन के साथ-साथ प्रैक्टिकल कार्य भी सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में करवाया जाएगा ताकि छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण प्रभावित न हो।

नोट1: हरियाणा राज्य में आई. टी. आई. पास छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए सुअवसर उपलब्ध है। इस विषय में तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा जारी की गई अधिसूचना नं0 38/9/06-2 टी0ई0 दिनांक 24 फरवरी 2006 के अनुसार आई.टी.आई. पास छात्र/छात्राएं बहुतकनीकी शिक्षा संस्थानों द्वारा चलाये गये डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लेटरल एंट्री(Lateral Entry)के तहत सीधे द्वितीय वर्ष में दाखिला ले सकते हैं, जिसके लिये विस्तृत हिदायतें तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा से प्राप्त की जा सकती हैं।

नोट2: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जारी पत्र क्रं0 [6998/EW/A-III dated 28.02.2019](#) अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित एक तथा दो वर्षीय कोर्स को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की सीनियर सैकेण्डरी एवं सैकेण्डरी कक्षाओं की समकक्षता निम्न शर्तों अनुसार प्रदान की हैं:-

- (i) दसवीं के पश्चात दो वर्षीय कोर्स को 10+2 की हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में से कोई एक भाषा उत्तीर्ण करने उपरांत बोर्ड द्वारा संचालित 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई है।
- (ii) इसी प्रकार कक्षा दसवीं के पश्चात एक वर्षीय कोर्स के आधार पर विभाग द्वारा एक वर्ष के शिक्षुता प्रमाण पत्र को शामिल करते हुए 10+2 की हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में से कोई एक भाषा उत्तीर्ण करने उपरांत बोर्ड द्वारा संचालित 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई है।
- (iii) कक्षा आठवीं के आधार पर प्रवेश उपरांत जिन कोर्सिज की समय अवधि दो वर्ष की है ऐसे कोर्सिज को भी बोर्ड द्वारा संचालित दसवीं (सैकेण्डरी) परीक्षा के समकक्ष मान्यता इस शर्त पर प्रदान की गई है कि परीक्षार्थियों द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी (दोनों विषय) (सैकेण्डरी परीक्षा) भाषाओं की परीक्षा जिस वर्ष अतिरिक्त विषय के तौर पर उत्तीर्ण कर लेंगे।
- (iv) कक्षा आठवीं के आधार पर प्रवेश उपरांत जिन कोर्सिज की समय अवधि एक वर्ष की है, कोर्स की समाप्ति उपरांत ऐसे प्रशिक्षुओं को एक वर्ष तक शिक्षुता प्रशिक्षण करवाया जाता है। ऐसे कोर्सिज को भी बोर्ड द्वारा संचालित दसवीं (सैकेण्डरी) परीक्षा के समकक्ष मान्यता इस शर्त पर प्रदान की गई है कि परीक्षार्थियों द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी (दोनों विषय) (सैकेण्डरी परीक्षा) भाषाओं की परीक्षा जिस वर्ष अतिरिक्त विषय के तौर पर उत्तीर्ण कर लेंगे।

इसके निरंतर में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा नोटिफिकेशन क्रमांक 17/20/2015-3 GS-II दिनांक 22.02.2021 द्वारा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलाए जा रहे कोर्सिज की प्रवेश योग्यता के आधार पर सभी सरकारी विभागों/ बोर्डों/ निगमों/ विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च शिक्षा और रोजगार के उद्देश्य से मैट्रिक/बाहरवीं की समकक्षता प्रदान की गई है।

उक्त वर्णित कोर्सिज को परीक्षार्थी द्वारा उत्तीर्ण करने एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा निर्धारित की गई शर्तें पूरा करने उपरांत ही बोर्ड की सीनियर सैकेण्डरी/सैकेण्डरी कक्षा के समकक्ष मान्यता

होगी।उपरोक्त बारे पूर्ण जानकारी हेतु विभागीय वैबसाईट पर सरकूलर सैक्शन में पत्र दिनांक 22 फरवरी 2021 देखें।

3. दाखिला

सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केन्द्रीयकृत दाखिला राज्य स्तरीय संयुक्त योग्यता सूची के आधार पर चार या अधिक ऑनलाईन दाखिला काउंसलिंग में किया जाएगा तथा दाखिला फार्म ऑनलाईन पोर्टल www.admissions.itiharyana.gov.in पर केवल एक ही बार भरा जाएगा। चार केन्द्रीयकृत दाखिला चरणों के पश्चात भी यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो नये आवेदन लेने बारे विचार किया जा सकता है।

पहली तीन ऑनलाईन दाखिला चरण केवल हरियाणा वासी प्रार्थियों के लिए हैं। चौथे ऑनलाईन दाखिले के लिए संयुक्त मैरिट सूची में अन्य राज्यों के प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन भी शामिल किए जाएंगे। संयुक्त मैरिट सूची के आधार पर चौथी दाखिला काउंसलिंग अवसर प्रदान करने उपरान्त भी यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो इन रिक्त सीटों के प्रति दाखिला बारे सूचना दाखिला / विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

नोट: विभाग द्वारा दाखिला प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर किसी भी संस्थान में चल रहे व्यवसाय यूनिटों की संख्या व यूनिट की दाखिला क्षमता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, किसी व्यवसाय को बंद एवं नया व्यवसाय भी चलाया जा सकता है। दाखिला प्रक्रिया के दौरान नये राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किये जा सकते हैं व कोई संस्थान बन्द भी किया जा सकता है। इस प्रकार की किसी भी सूचना के लिए दाखिला पोर्टल का नियमित अवलोकन करें।

3.1 दाखिले हेतु योग्यता का निर्धारण

3.1.1 जिन व्यवसायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है, उन व्यवसायों में दाखिले के लिए मैरिट आठवीं के कुल प्राप्त प्रतिशत अंकों से ही निकाली जाएगी। जिन व्यवसायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है, उन व्यवसायों में दाखिले के लिए मैरिट दसवीं के कुल प्राप्त प्रतिशत अंकों से ही निकाली जाएगी तथा जिन व्यवसायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 है, उन व्यवसायों में दाखिले के लिए मैरिट 10+2 के कुल प्राप्त प्रतिशत अंकों से ही निकाली जाएगी। दसवीं कक्षा की परीक्षा के प्राप्त अंक भरने के लिए केवल श्रेष्ठ 5 विषयों के कुल अंक/प्राप्त अंक का योगफल ही दाखिला आवेदन पत्र में भरा जाए।

यदि बोर्ड द्वारा जारी की गई अंक तालिका में प्रार्थी के अंक CGPA में दिए गए हैं तो आवेदन-फार्म भरते समय CGPA को सम्बन्धित बोर्ड के CGPA to % age factor से गुणा करते हुए अंको का प्रतिशत निकाला जाएगा। प्रार्थी अपनी अंकतालिका से देखते हुए इस गुणक factor को आवेदन फार्म में भरेंगे। प्रार्थी को यह हिदायत दी जाती है कि वह अपने अंकतालिका या अपने बोर्ड की वैबसाईट से इस गुणक factor के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। यदि प्रार्थी द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के भरे गये गलत CGPA factor की वजह से मैरिट कम या ज्यादा बनती है तथा इस कारण प्रार्थी का दाखिला किसी भी स्तर पर रद्द होता है तो उसके लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

नोट:- प्रार्थी को विशेष हिदायत दी जाती है कि वह फार्म भरने से पहले अपने प्राप्त अंको की प्रतिशतता भली-भांति जांच लें।

3.1.2 प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक MSDE (DGT)-19/01/2019-CD दिनांक 13.12.2019 के अनुसार जिन व्यवसायों में दाखिले हेतु योग्यता विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ दसवीं पास है ऐसे व्यवसायों में दसवीं कक्षा की परीक्षा में 'विज्ञान व गणित विषय में अनुत्तीर्ण होने पर भी दाखिला दिया जाएगा बशर्ते की सम्बन्धित बोर्ड द्वारा 'दसवीं पास' का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

3.1.3 दाखिले के लिए तैयार की गई मैरिट सूची में अंको की समानता होने पर छात्र/छात्राओं को व्यवसाय की न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में निम्नलिखित विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट सूची में प्राथमिकता दी जायेगी :-

- प्रथम निर्णायक:- जिस प्रार्थी के गणित विषय में अधिक अंक हैं उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- द्वितीय निर्णायक:- जिस प्रार्थी के विज्ञान विषय में अधिक अंक हैं उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- तृतीय निर्णायक:- जिस प्रार्थी के अंग्रेजी विषय में अधिक अंक हैं उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

3.1.4 इसके पश्चात भी कोई नतीजा प्राप्त न होने की स्थिति में ऐसे प्रार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी जिसकी आयु अधिक हो।

3.1.5 उपरोक्त बिन्दु नं० 4 में भी समानता होने पर उस प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।

- 3.1.6 उपरोक्त 3, 4 व 5 बिन्दुओं पर समानता होने पर ऐसे प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पिता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।
- 3.1.7 उपरोक्त 3,4, 5 व 6 बिन्दुओं पर समानता होने की स्थिति में उस प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी माता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।
- 3.1.8 दसवी पास की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के व्यवसायों में आवेदन करने वाले 10+2 पास छात्र/छात्राओं को उच्च शैक्षणिक योग्यताके अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जो निम्नानुसार हैं:-
- 10+2 में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त प्रार्थियों को मैरिट में 5 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे।
 - 10+2 में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रार्थियों को मैरिट में 3 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे।
- 3.1.9 जिन व्यवसायों में दाखिले हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास है, ऐसे व्यवसायों में प्रार्थियों को सिद्धांत रूप में मैरिट में उच्च शैक्षणिक योग्यता (स्नातक डिग्री) के 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
- 3.1.10 दाखिले के लिए आवेदन करने वाली विधवा/विधवाओं के बच्चों को योग्यता सूची में 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

नोट: यदि कोई प्रार्थी उक्त दोनों श्रेणियों में अधिमान का पात्र बनता है तो उसे दोनों अधिमान प्रदान की जाएगी।

3.2.0 संस्थानों हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान करने वाली पंचायतों को दाखिले में लाभ:-

जिन वर्तमान ग्राम पंचायतों ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि सरकार को दान में दी है या सरकार की हिदायतों अनुसार एक रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है, ऐसी ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले गांवों के स्थाई निवासी छात्र/छात्राओं को दाखिले हेतु 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे बशर्ते कि वह उसी गांव में ऐसी भूमि में स्थित संस्थान में दाखिला लेने के लिए आवेदन करता है।

दाखिले के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश:-

- 3.2.1 प्रार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाईन दाखिला आवेदन पत्र भरने से पहले दाखिला वैबसाइट पर दिए गए नमूना पत्र अभ्यास के लिए पहले भरें ताकि मुख्य फार्म को भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि की आशंका न रहे।
- 3.2.2 विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाती है। अतः प्रार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी सुविधानुसार संस्थान का चयन सावधानी पूर्वक करें।
- 3.2.3 ऑनलाईन दाखिला काउंसलिंग में भाग लेने के लिए प्रार्थी को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा जो कि निम्न प्रकार से है:-
- सामान्य वर्ग के प्रार्थियों से 100रु0 (non -refundable) शुल्क लिया जाएगा।
 - अनुसूचित जाति वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के प्रार्थियों से 50 रु0 (non-refundable) शुल्क लिया जाएगा।
 - महिला प्रार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 - जिन प्रार्थियों द्वारा दाखिला काउंसलिंग में सीट अलाटमेंट होने उपरान्त निर्धारित समय अवधि में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जाती है तथा दाखिला फीस जमा नहीं करवाई जाती तो उसे अगली दाखिला काउंसलिंग में भाग लेने हेतु जुर्माना राशी छात्रों को 500 रु0 तथा छात्राओं को 250 रु0 आन-लाईन जमा करवाने होंगे।
 - दाखिला प्रक्रिया सम्पूर्ण होने उपरान्त यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य संस्थान में प्रवास/माईग्रेशन करवाना चाहता है तो छात्रों को 500 रु0 की फीस तथा छात्राओं को 250 रु0 की फीस आन-लाईन जमा करवानी होगी।
- 3.2.4 प्रदेश में स्थित राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलाए जा रहे व्यवसाय DGT भारत सरकार के अधीन गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से एवं राज्य सरकार की राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) के अधीन संचालित हैं।

- 3.2.5 प्रार्थियों को SCVT अथवा NCVT व्यवसायों में प्रवेश हेतु अलग-अलग ऑनलाईन आवेदन-पत्र नहीं भरना होगा। ऑनलाईन आवेदन फार्म में दोनों ही प्रकार के व्यवसायों को चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- 3.2.6 प्रार्थी विवरण पुस्तिका को भली-भाँति पढ़कर स्पष्ट रूप से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरें। त्रुटि-पूर्ण भरे गये ऑनलाईन आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे त्रुटि-पूर्ण भरे गए ऑनलाईन आवेदन के प्रति कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 3.2.7 ऑनलाईन भर कर submit किए गये आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट (Print out) की एक प्रति प्रार्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
- 3.2.8 ऑनलाईन आवेदन पत्र को निर्धारित फीस भरकर जमा करवाने उपरांत प्रार्थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकेंगे। यदि फार्म में गलती हो गई है या उसमें संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति में पुराने भरे गए फार्म को रद्द करने उपरान्त ही नया फार्म भरा जा सकता है जिसके लिए शुल्क जमा कर पुनः आवेदन करना होगा।
- 3.2.9 राजकीय (महिला)/निजी (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 100 प्रतिशत सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित हैं तथा अन्य सभी संस्थान सह शिक्षण (co-education) संस्थानों में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- 3.2.10 सभी व्यवसायों का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा वार्षिक प्रणाली (annual pattern) अनुसार होगा।
- 3.2.11 प्रार्थी को आवश्यकता अनुसार अपने मूल-प्रमाण पत्रों की scanned प्रतियां दाखिला पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य है ताकि दाखिले के समय संस्थान जाने की आवश्यकता न पड़े। दाखिला पोर्टल पर इन scanned प्रतियों के आधार पर ही दाखिला मंजूर किया जाएगा व यदि सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं पाए गए तो दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।

3.3 सीट आवंटन प्रक्रिया

प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में दाखिला हेतु राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित है:-

- 3.3.1 ऑनलाईन आवेदन फार्म भरते समय प्रार्थी हरियाणा प्रदेश में किसी भी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के किसी भी व्यवसाय (SCVT/NCVT से सम्बद्ध) के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्थान स्तर पर एवं व्यवसायवार आरक्षण के आधार पर सीटों की संख्या ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी।
- 3.3.2 प्रार्थी को दाखिला पोर्टल पर अलग-अलग व्यवसायों/संस्थानों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा ताकि वह अपनी पसंद अनुसार विकल्पों को भरें तथा भरे हुए विकल्पों को वरीयता के क्रम में लगाते हुए ऑनलाईन दाखिला पोर्टल पर जमा करें।
- 3.3.3 ऑनलाईन दाखिला आवेदन पत्र में उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय/संस्थान के अधिकतम 15 विकल्प भर सकते हैं। उम्मीदवार केवल वही विकल्प भरें जिनमें दाखिला लेना है क्योंकि सीट आंबटित होने उपरान्त यदि छात्र/छात्रा ने दाखिला नहीं लिया तो उसे आगामी दाखिला काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। **यद्यपि यदि वह भाग लेना चाहता तो छात्र को 500 रु व छात्रा को 250 रु जुर्माना राशी भरनी होगी।**
- 3.3.4 प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये संस्थान/व्यवसायों के विकल्पों में से योग्यता के आधार पर एवं विकल्पों की वरीयता के क्रमानुसार व्यवसाय/संस्थान में रिक्त सीटों की उपलब्धता अनुसार सीट आवंटित की जाएगी।
- 3.3.5 ऑनलाईन काउंसलिंग पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश स्तर पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-2 योग्यता सूची तैयार की जायेगी। ऐसे व्यवसाय जिनमें दाखिले हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यता 8वीं पास है, उन व्यवसायों में दसवीं पास उम्मीदवार यदि उपलब्ध हैं तो उन्हें वरीयता दी जायेगी। दसवीं पास उम्मीदवार उपलब्ध न होने की अवस्था में ही आठवीं पास उम्मीदवारों का दाखिला किया जायेगा। जिन व्यवसायों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है उन व्यवसायों के लिए दसवीं में प्राप्त अंको के आधार पर मैरिट सूची बनाई जाएगी तथा जिन व्यवसायों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास है उन व्यवसायों के लिए 10+2 में प्राप्त अंको के आधार पर मैरिट सूची बनाई जाएगी।
- 3.3.6 प्रार्थी को व्यवसाय/संस्थान का आवंटन उसकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक (अतिरिक्त अधिमान अंक यदि कोई हो, को जोड़ते हुए) अनुसार चुने हुए विकल्पों में से ही मैरिट के आधार पर किया जायेगा।
- नोट1 प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यवसायों की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता एवं व्यवसायवार, प्रशिक्षण अवधि का ब्यौरा मार्ग दर्शन हेतु Annexure-A पर उपलब्ध है, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर चयनित प्रार्थी को तदानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

नोट 2 यह आवश्यक नहीं है कि प्रार्थी द्वारा दाखिला फार्म में व्यवसाय/संस्थानों के अधिकतम विकल्प भरने के उपरांत भी भरे हुए विकल्पों में से किसी विकल्प पर प्रार्थी को दाखिला मिले। प्रार्थी का दाखिला मैरिट सूची में प्राप्त की गई रैंक एवं संबंधित व्यवसाय में उस रैंक पर सीटों की उपलब्धता पर निर्भर रहेगा।

4. ऑनलाईन काउंसलिंग दाखिला प्रक्रिया

4.1 प्रथम काउंसलिंग चरण

- 4.1.1 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा सत्र 2022-23 में दाखिले हेतु आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए संस्थानवार, व्यवसायवार, किसी विशेष योजना के अन्तर्गत चल रहे व्यवसाय एवं वर्गवार सीटों का विवरण उपलब्ध करवाया जाएगा जिसके आधार पर सीटों का आवंटन होगा।
- 4.1.2 दाखिले के लिए 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदेश स्तरीय अलग-2 मैरिट सूची तैयार की जायेगी।
- 4.1.3 प्रथम दाखिला चरण में किसी भी संस्थान/व्यवसाय में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए मैरिट सूची के क्रम अनुसार प्रार्थियों को सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक प्रार्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के व्यवसाय/संस्थान के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी योग्यता के आधार पर उसके द्वारा मैरिट क्रम में चिन्हित व्यवसाय/संस्थान में सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है, तो प्रार्थी के आरक्षण वर्ग (यदि कोई लागू हो तो) (if applicable) के आधार पर सीट आवंटन का प्रयास किया जाएगा। उसके द्वारा मैरिट क्रम में चिन्हित अगले व्यवसाय के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी जब तक उसके द्वारा चिन्हित समस्त व्यवसायों एवं संस्थानों में कोई सीट उपलब्ध न रहे।
- 4.1.4 तत्पश्चात योग्यता सूची में अगली वरीयता क्रम के प्रार्थी के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी और इसी क्रम में समस्त प्रार्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा जब तक कि समस्त उपलब्ध सीटें आवंटित नहीं हो जाती।
- 4.1.5 प्रार्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए व्यवसाय एवं संस्थानों के विकल्प के अनुसार की गई सीट आवंटन का परिणाम तैयार करवाने उपरांत दाखिला वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा प्रार्थियों को SMS द्वारा भी सूचित किया जाएगा।
- 4.1.6 सीट अलॉटमेंट के पश्चात संबंधित संस्थान द्वारा ऑनलाईन दाखिला फार्म में भरी गई सूचना का प्रार्थी द्वारा अपलोड किए गए मूल-प्रमाण पत्रों की scanned प्रतियों से मिलान करते हुए जांच की जाएगी तथा सभी सूचना सही पाए जाने उपरांत ही दाखिला किया जाएगा। यदि दाखिले हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं पाए गए तो दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
- 4.1.7 संस्थान द्वारा प्रार्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन बारे सूचना प्रार्थी के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर SMS एवं उसके दाखिले पोर्टल के लॉगिन आईडी अथवा email के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। जिसके पश्चात नियत समय से पहले प्रार्थी को देय दाखिला फीस ऑनलाईन ही जमा करवानी होगी जिसका लिंक विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सैनिक परिवार भवन एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी दाखिला फीस ऑनलाईन ही जमा करवानी होगी। देय फीस भरने उपरांत ही प्रार्थी को दाखिला दिया जाएगा जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा तथा संस्थान में कक्षाएं आरम्भ होने पर शैक्षणिक योग्यताओं एवं आरक्षण आदि के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने उपरान्त एवं इनके सही पाये जाने पर ही दाखिला स्थाई किया जाएगा।

4.2 द्वितीय काउंसलिंग चरण

- 4.2.1 प्रथम काउंसलिंग चरण के उपरान्त संस्थानवार/व्यवसायवार रिक्त सीटों का विवरण दाखिला वैबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रार्थियों द्वारा व्यवसाय/संस्थान का विकल्प पुनः भरने हेतु सूचना दाखिला वैबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- 4.2.2 द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए प्रत्येक प्रार्थी को दाखिला पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक अपनी सहमति देनी अनिवार्य नहीं है परन्तु यदि वे अपने आवेदन फार्म में भरे गए संस्थान/व्यवसाय का विकल्प बदलना चाहते हैं तो निर्धारित तिथि तक ऐसा कर सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग चरण के लिए ऐसे सभी आवेदनों को स्वतः लिया जाएगा जिन्हें प्रथम काउंसलिंग चरण में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। यदि कोई प्रार्थी नया विकल्प नहीं चुनता, तो उसके ऑनलाईन आवेदन पत्र में पहले से भरे गए विकल्पों पर ही उसकी योग्यता के अनुसार व्यवसाय/संस्थान आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा।
- 4.2.3 यदि कोई प्रार्थी जिसे प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित हो चुकी है वह भी दोबारा काउंसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे आवंटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए

जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा। द्वितीय काउंसलिंग में सीट आवंटन की पूरी प्रक्रिया प्रथम चरण की भांति की जायेगी।

4.3 तृतीय काउंसलिंग चरण

- 4.3.1 द्वितीय काउंसलिंग के बाद सभी सह-शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा परंतु STRIVE परियोजना के तहत चयन किए गए 21 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की चिन्हित व्यवसाय यूनिटों में पहले 4 दाखिला चरणों तक महिलाओं के लिए 100% आरक्षण लागू रहेगा।
- 4.3.2 Deprived SC category (Annexure-D) के प्रार्थियों के लिए अनुसूचित जाति की कुल आरक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों पर दिया गया आरक्षण दो काउंसलिंग चरणों के पश्चात समाप्त कर दिया जाएगा।
- 4.3.3 यदि किसी प्रार्थी को प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में सीट आवंटित हो चुकी है वह भी दोबारा तृतीय काउंसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे पूर्व में आवंटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

4.4 चतुर्थ काउंसलिंग चरण

तीसरे दाखिले के उपरान्त सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षित श्रेणियों(पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS)/अनुसूचित जाति वर्ग/दिव्यांग)की रिक्त रह गई सीटों को चतुर्थ दाखिले हेतु सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

- 4.4.1 चतुर्थ काउंसलिंग चरण की समस्त कार्यवाही पहले किए गए काउंसलिंग चरणों की भांति ही की जायेगी।
- 4.4.2 यदि किसी प्रार्थी को प्रथम, द्वितीय या तृतीय काउंसलिंग में सीट आवंटित हो चुकी है वह भी दोबारा दाखिला काउंसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे पूर्व में आवंटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

4.5 दाखिले हेतु महत्वपूर्ण सूचना

- 4.5.1 100 प्रतिशत सीटें हरियाणा के मूल निवासी युवक-युवतियों से भरी जानी हैं यद्यपि तीसरी दाखिला काउंसलिंग के बाद अन्य राज्यों के निवासी आवेदनकर्ता उम्मीदवारों को भी चतुर्थ दाखिला कसउंसलिंग की मैरिट सूची में शामिल कर सीट आवंटित की जाएगी।
- 4.5.2 ऑनलाईन विकल्प आधारित दाखिला प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से सम्पन्न की जायेगी। प्रदेश में निर्धारित काउंसलिंग कार्यक्रम अनुसार अन्तिम प्रवेश तिथि के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में किसी प्रार्थी का प्रवेश सम्भव नहीं होगा। विवरणी में दर्शाये गये किसी भी दाखिले निर्देश, शर्तों को वापिस लेने/परिवर्तन का पूर्ण अधिकार कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के पास सुरक्षित रहेगा।

5 दाखिला सत्र

सत्र 2022-23 के आरंभ बारे अलग से सूचित कर दिया जाएगा तथा इस विषय पर अधिक जानकारी विभागीय वैबसाइट का अवलोकन करते रहे।

6 दाखिला प्रक्रिया

विभागीय ऑनलाईन काउंसलिंग वैबसाइट पर निर्धारित तिथि को मैरिट सूची के प्रदर्शन व सीट आवंटन पश्चात प्रार्थी अपना सीट आवंटन पत्र (allotment letter) प्रिंट कर सकते हैं। इस पत्र में प्रार्थी को आवंटित किए गए व्यवसाय एवं संस्थान का विवरण होगा। संबंधित संस्थान द्वारा प्रार्थी के फार्म में अपलोड मूल-प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत ही दाखिला दिया जाएगा। प्रार्थी अपने लॉगिन आईडी से दाखिला स्थिति जांच सकते हैं तथा यह ठीक पाए जाने के पश्चात ही उन्हें फीस जमा करने का लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। पूरी फीस जमा करवाने उपरांत ही प्रार्थी को अस्थाई दाखिला दिया जाएगा। निर्धारित तिथि तक देय फीस जमा न करने की स्थिति में प्रार्थी का सीट अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। कक्षाएं शुरु होने के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर प्रार्थी द्वारा अपने मूल दस्तावेज संस्थान में चैक करवाने उपरान्त ही दाखिला स्थाई माना जाएगा। दस्तावेजों में कमी/त्रुटि पाए जाने की स्थिति में दाखिला रद्द कर दिया जाएगा व जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

6.1 संस्थान में दाखिला उपरान्त उपस्थिति दर्ज करवाना

दाखिला प्राप्त सभी छात्र/छात्राएं अपने-2 सम्बन्धित संस्थानों में (जहां उनका दाखिला हुआ है), कक्षाएं शुरु होने के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर अपने मूल दस्तावेजों की जांच करवाएंगे अन्यथा उनका दाखिला स्थाई नहीं माना

जाएगा। जांच के दौरान दस्तावेजों में कमी पाए जाने की स्थिति में प्रार्थियों द्वारा जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा तथा दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।

7 अन्तिम दाखिला

ऑनलाईन दाखिला काउंसलिंग के चार चरण पूर्ण होने के पश्चात भी यदि राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी रिक्त सीटों के प्रति अन्तिम दाखिले के लिए समय सारणी एवं पूर्ण कार्यक्रम विभाग की दाखिला वेबसाइट पर एवं मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अन्तिम दाखिले के लिए रिक्त सीटों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

8. आरक्षण

दाखिले हेतु आरक्षण निम्न अनुसार है :-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (i) अनुसूचित जाति | : 20% (10% for Deprived SC&10% for other SC castes) |
| (ii) पिछड़े वर्ग | : 27% (16% for Block-A&11% for Block-B) |
| (iii) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग(EWS): | 10% |
| (iv) दिव्यांग | : 04%(01%Blind/LowVision, 01% Deaf & Dumb, 01% Locomotors disability including cerebral palsy, leprosy, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy,01% Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness) |

नोट:-

- 8.1 केवल हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
- 8.2 अनुसूचित जाति की कुल आरक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें Deprived SC category (Annexure-D) के प्रार्थियों हेतु द्वितीय चरण के दाखिले तक आरक्षित रहेंगी।
- 8.3 दिव्यांग श्रेणी के आरक्षण हेतु उम्मीदवार का न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण-पत्र सक्षम मैडीकल बोर्ड द्वारा जारी होना अनिवार्य है।
- 8.4 दिव्यांग आरक्षित श्रेणी में दाखिला राजकीय चिकित्सालय अथवा सक्षम अधिकारी से जारी किए गए मैडिकल प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की स्थिति में ही दिया जाएगा। दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत प्रार्थियों को दाखिला केवल उन्हीं व्यवसायों में दिया जाएगा जो कि प्रार्थी की दिव्यांगता अनुसार उनके लिए उपयुक्त हैं। ऐसे व्यवसायों की सूची विभागीय वेबसाइट www.admissions.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है।
- 8.5 यदि दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उनके स्थान पर 01 प्रतिशत तक भूतपूर्व सैनिक अथवा उनके आश्रितों तथा 01 प्रतिशत तक स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दाखिला दिया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिक/उनके आश्रितों को दाखिला देने के लिए प्रार्थी को सक्षम अधिकारी/जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 8.6 मूक एवं बधिर कल्याण केन्द्र, गुरुग्राम में 100 प्रतिशत सीटों पर मूक एवं बधिर प्रार्थियों का दाखिला होगा।
- 8.7 Further, 3% Horizontal reservation is also provided to Ex-servicemen/Freedom Fighters and their dependents by providing reservation within reservation of 1% of general category, 1% out of scheduled castes and 1% from backward classes category for admission. As far as block allocation in Block A and Block B of Backward Class category is concerned, yearwise rotational system will be adopted e.g. If A Block of Backward classes are given seats in the academic year 2014, the next block i.e. B Block of category of Backward Classes will be given seats in the next academic year i.e. 2015. **(Block-A in 2022-23).**
- 8.8 पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीटें यदि खण्ड 'ए' में रिक्त रह जाती है तो वह खण्ड 'बी' के प्रार्थियों से भरी जा सकती है। इसी प्रकार खण्ड 'बी' की रिक्त सीटें खण्ड 'ए' के प्रार्थियों द्वारा भरी जा सकती है। पिछड़े वर्ग की आरक्षित रिक्त सीटें अन्य खण्ड से दूसरे दाखिले के उपरान्त ही भरी जाये।
- 8.9 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में SCSP योजना (Scheduled Caste Sub Plan) के अन्तर्गत चलाए जा रहें प्रत्येक व्यवसाय यूनिट में 75 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति तथा 25 प्रतिशत सीटें अन्य वर्ग के प्रार्थियों से भरी जाएंगी।

9 चरित्र प्रमाण-पत्र

- (i) वर्ष 2022 में शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं) पास करने वाले प्रार्थियों के लिए अपने अंतिम शिक्षण संस्थान के मुखिया से बनवाया गया चरित्र प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (ii) ऐसे प्रार्थी (केवल पुरुष) जिन्होंने दाखिले के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वर्ष 2022 से पहले उत्तीर्ण की है वे अंतराल अवधि (Gap period) एवं चरित्र प्रमाण-पत्र नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर दाखिले के समय प्रस्तुत करेंगे। महिला प्रार्थी केवल अंतिम शिक्षण संस्थान के मुखिया द्वारा बनाया गया चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगी।

10. महिलाओं के लिए आरक्षण

सभी सह-शिक्षण राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सभी वर्गों में दाखिले में आरक्षण (horizontal) निम्नानुसार है :-

- 10.1 औद्योगिक प्रशिक्षण सह-शिक्षण संस्थानों में जो यूनिट विशेष तौर पर महिलाओं के लिए चल रहे हैं उनमें केवल महिलाओं का ही दाखिला होगा।
- 10.2 औद्योगिक प्रशिक्षण सह-शिक्षण संस्थानों में स्टेनों हिन्दी तथा स्टेनों अंग्रेजी व्यवसायों में पहले की भांति 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 के अतिरिक्त अन्य सभी व्यवसायों में महिलाओं के लिए दाखिले में 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
- 10.3 सभी सह-शिक्षण संस्थानों में चल रहे Cosmetology व्यवसाय में केवल महिला प्रार्थियों का ही दाखिला किया जाएगा।
- 10.4 STRIVE परियोजना के तहत चयन किए गए 21 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की चिन्हित व्यवसाय यूनिटों में पहले 4 दाखिला चरणों तक 100% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके पश्चात संस्थान स्तर पर होने वाले दाखिले में इन यूनिट्स के प्रति दाखिले में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। ऐसे सभी संस्थानों एवं
- 10.5 व्यवसाय यूनिटों की सूची Annexure-E पर उपलब्ध है।
- 10.6 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कोपा (COPA) व्यवसाय में दाखिल छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम में प्रशिक्षण ग्रहण करने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है।

11. संस्थानों हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान करने वाली पंचायतों के निवासियों को दाखिले में लाभ:-

- जिन ग्राम पंचायतों ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि सरकार को दान में दी है या सरकार की हिदायतों अनुसार एक रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है, ऐसी ग्राम पंचायतों के स्थाई निवासियों को सम्बन्धित संस्थान में दाखिला लेने का विकल्प भरने पर दाखिला मैरिट सूची में 5 अतिरिक्त अंक जोड़े जाएंगे ताकि उन्हें दाखिला में वरीयता मिलें।
12. भारत सरकार की “Upgradation of 1396 Govt. ITIs through Public Private Partnership” योजना के अन्तर्गत जिन 52 संस्थानों का उन्नयन (upgrade) किया जा रहा है, उन संस्थानों में चल रहे सभी व्यवसाय यूनिटों की 20 प्रतिशत सीटों पर दाखिला संस्थान प्रबन्धक कमेटी (IMC) कोटे का होगा। इन सीटों पर दाखिले के लिए प्रार्थी को सामान्य सीटों के लिए वसूल किए जाने वाला शुल्क, निधि, प्रतिभूति आदि के अतिरिक्त 600/-₹0 प्रति माह का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 600/-₹0 प्रति माह की यह फीस संस्थान प्रबन्धक कमेटी (IMC) के खाते में जमा होगी। इस दाखिले हेतु मूल योग्यता सूची व आरक्षण प्रणाली यथावत लागू होगी। इन सीटों के प्रति दाखिला ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया से होगा तथा आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी को इन संस्थानों में सामान्य शुल्क की एवं संस्थान प्रबन्धक कोटे की सीटें अलग-2 प्रदर्शित होंगी (List of 52 PPP Govt. ITIs at Annexure-C).
13. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साल्हावास (जिला झज्जर)की कुल स्वीकृत सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें APCPL Ltd.द्वारा झाड़ली में लगाए गए ताप उर्जा संयंत्र (Thermal Power Plant) के कारण विस्थापित परिवारों के लिए आरक्षित होंगी जिनके प्रति दाखिले के लिए उम्मीदवारों को APCPL कम्पनी नामांकित करेगी। नामांकन के दौरान विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निर्देशों की पालना करनी होगी। इन सीटों के प्रति दाखिला ऑन लाईन पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है।

14 STRIVE परियोजना के तहत दिये जाने वाले लाभ का विवरण निम्न प्रकार से है:-

14.1 STRIVE परियोजना के तहत चयन किए गए 21 रा0औ0प्रशि0 संस्थानों में Flexi MoU के तहत OJT पर जाने वाले छात्र/छात्राओं को मानदेय के रूप में 20 रुपये प्रतिदिन की राशि मानदेय के रूप में निम्नशर्तानुसार दी जाएगी।

1. हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. मानदेय का भुगतान परियोजना अवधि तक ही दिया जाएगा। परियोजना समाप्त होने के बाद यह मानदेय नहीं दिया जाएगा।
3. मानदेय का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों को उस अवधि के लिए किया जाएगा, जिस अवधि में वे फर्म के साथ हस्ताक्षरित Flexi MoU के तहत On the job Training पर उद्योगों में होंगे तथा भुगतान सम्बन्धित उद्योग में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के दिनों की गणना के आधार पर किया जाएगा।

14.2 हरियाणा राज्य के रा0औ0प्रशि0 संस्थानों में प्रवेश लेने वाले सभी प्रशिक्षुओं को उनके परीक्षा परिणाम से पूर्व निःशुल्क पासपोर्ट की सुविधा (by the way of reimbursement of application fee of Rs. 1500) प्रदान करने हेतु खर्च होने वाली राशि को स्टेट प्लान स्कीम से वहन निम्नशर्तों के अनुसार किया जाएगा।

1. उम्मीदवार को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए या हरियाणा राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. कोर्स के दौरान उम्मीदवार की कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए।
3. संस्थान द्वारा उसे फाईनल परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाना चाहिए और वह सभी थ्यरी व प्रैक्टिकल परीक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए।
4. उम्मीदवार के पास पहले से ही पासपोर्ट नहीं होना चाहिए और राजकीय आई0टी0आई0 में प्रवेश पाने के बाद ही उसके लिए आवेदन किया हो।

उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले राजकीय आई0टी0आई0 के प्रशिक्षुओं को अपनी फाईनल परीक्षा से कम से कम 3 माह पूर्व पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा।

15. DGT द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल प्रत्येक छात्र/छात्रा को IT Literacy का निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य है।

16. नुहं जिले के निवासियों के लिए जिला नुहं में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सभी सीटों के प्रति 50 प्रतिशत आरक्षण है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा दाखिले हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिला नुहं के किसी स्कूल से उत्तीर्ण की हो अथवा प्रमाण हेतु अपना रिहायशी प्रमाण पत्र/वोटर पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड मूल रूप में दाखिले के समय प्रस्तुत करना होगा।

17. नुहं जिले में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले लेने वाली सभी छात्राओं को 1000 रु0 मासिक प्रोत्साहन राशी दी जाएगी बशर्ते कि उसकी प्रत्येक तिमाही में कम से कम 80 प्रतिशत हाजरी हो तथा वह नुहं जिले की स्थाई निवासी हों। यह प्रोत्साहन राशी छात्रा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अन्य छात्रवृत्तियों/लाभों के अतिरिक्त होगी।

18. शुल्क, निधियाँ एवं प्रतिभूतियाँ तथा इन के नियम (राजकीय संस्थानों में)

18.1 शिक्षण शुल्क (Tuition fees)

हरियाणा राज्य के मूल निवासी छात्रों को प्रतिमास 15/-रूपये शिक्षण शुल्क व अन्य राज्यों के मूल निवासी छात्रों को प्रति मास 300/- रू0 शिक्षण शुल्कके रूप में देने होंगे। जिन छात्रों का दाखिला आई0एम0सी0/पी0पी0पी0 की सीटो पर हुआ है उन्हें 600रू प्रति माह की दर से अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। तीन-तीन मास का इकट्ठा शुल्क प्रत्येक तिमाही के प्रथम माह अर्थात अगस्त, नवम्बर, फरवरी एवं मई मास की 20 तारीख तक जमा करवाना होगा। 21 तारीख से 30 तारीख तक शुल्क दो रूपये प्रतिदिन जुर्माना के साथ जमा किया जा सकता है। जो छात्र इस अवधि में भी शुल्क जमा नहीं करवाएंगे उनका नाम बिना सूचित किये संस्थान से काट दिया जाएगा। सभी छात्राओं का शिक्षण शुल्क माफ है। (विस्तृत जानकारी के लिए Annexure -F देखें)।

18.2 छात्रनिधि (Student Fund)

प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रनिधि 30 रू0 प्रतिमास की दर से त्रैमासिक फीस के साथ जमा करवाना होगा जो कि अप्रतिदेय (non-refundable) है।

18.3 भवन निधि (Building Fund)

प्रत्येक छात्र/छात्रा को 120रू0 प्रतिवर्ष की दर से भवन निधि शिक्षण सत्र के आरम्भ में ही एकमुश्त जमा करवानी होगी। अपने कोर्स के दूसरे वर्ष में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को भी भवन निधि अगस्त मास में 120 रू0 एकमुश्त पुनः जमा करवानी होगी। यह अप्रतिदेय (non-refundable) है।

18.4 पहचान पत्र (Identity Card)

प्रत्येक छात्र/छात्राको दाखिले के समय 10 रू0 पहचान पत्र के लिए जमा करवाने होंगे। पहचान पत्र खो जाने पर छात्र/छात्रा को शपथ पत्र देना होगा तथा नया पहचान पत्र बनवाने हेतु पुनः 10रू0 जमा करवाने होंगे।

18.5 प्रतिभूति (Security)

- दाखिले के समय प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिभूति के रूप में 300 रू0 की राशि जमा करवानी होगी। प्रशिक्षण की सन्तोषजनक समाप्ति पर यदि कोई सरकारी देय (Govt.Dues) हो, की कटौती करते हुए प्रतिभूति की राशि छात्र/छात्रा को वापिस लौटा दी जाएगी।
- पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए 25रू0 प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। प्रशिक्षण की सन्तोषजनक समाप्ति पर यदि कोई सरकारी देय हो, की कटौती करते हुए प्रतिभूति (Security) वापिस लौटा दी जाएगी।
- यदि कोई छात्र/छात्रा प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर चला जाता है या उसका नाम संस्थान द्वारा काट दिया जाता है तो उस अवस्था में जमा करवाई गई प्रतिभूति की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

नोट:- दाखिले के समय ही शिक्षण शुल्क, छात्रनिधि, भवन निधि एवं प्रतिभूति राशि जमा करवाई जानी अनिवार्य है।

18.6 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए शुल्क:-

DGT से प्राप्त निर्देशानुसार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए निम्न प्रकार से शुल्क निर्धारित की गई है:-

Fees taken at the time of admission	1 Year Trade		2 Year Trade	
	Engineering Trades	Admission fees (Non Refundable Fee)	5000	Admission fees (Non Refundable Fee)
	1 st Quarter Fee	5250/-	1 st Quarter Fee	5875/-
	Grand Total	10250/-	Grand Total	10875/-
Non Engineering Trades	Admission fees (Non Refundable Fee)	5000	Admission fees (Non Refundable Fee)	5000
	1 st Quarter Fee	4050/-	1 st Quarter Fee	4675/-

		Grand Total	9050/-	Grand Total	9675/-
Sr. No.	Category of trades	Annual fee per trainee under Craftsmen Training Scheme			
1	Engineering	Re.26,000/-			
2	Non-Engineering	Re.21,200/-			

इसके अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क की जानकारी सम्बन्धित संस्थान से प्राप्त की जा सकती है।

19 छात्रवृत्तियां

संस्थान में प्रशिक्षण अवधि में पात्र प्रशिक्षणार्थियों को निम्न अनुसार छात्रवृत्तियां दी जाती हैं:-

- 19.1 राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अनुसूचित जातियों से संबंधित हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं को भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अन्तर्गत 208/- रू० प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जायेगी, इसके इलावा सरकार द्वारा ट्यूशन फीस, छात्र फण्ड, बिल्लिंग फण्ड व पहचान पत्र इत्यादि की अदायगी भी की जायेगी।

सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अनुसूचित जाति के हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं को ट्यूशन फीस व अन्य भत्ते राजकीय आई.टी.आई की दरों के अनुसार (ट्यूशन फीस अधिकतम 1000/- रू० प्रतिमाह) अदायगी की जायेगी।

उपरोक्त छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थी के परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रू० से कम तथा छात्र/छात्राओं के ही आधार नम्बर, परिवार पहचान पत्र व इन्कम प्रमाण-पत्र होने अनिवार्य है।

नोट:- पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नियमों के अनुसार राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के एन.सी.बी.टी. स्कीम के अन्तर्गत दाखिल छात्र/छात्राओं को ही उक्त स्कीम का लाभ मिलेगा। SC-Scheme & OBC-Scheme की छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए (harchhatravratti.highereduhry.ac.in) पर अप्लाई कर सकते हैं।

- 19.2 सभी राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र /छात्राओं को 160 रू० प्रति मास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल छात्रों को प्रतिमाह 15 रू० ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) की जाती है तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिवर्ष 5000 रू० की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (416 रू० प्रति माह) की जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थी के माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रू० से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस छात्रवृत्ति की अदायगी निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा की जाती है।

- 19.3 अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, इसाई, जैन, सिख, पारसी एवं बौद्ध धर्म) के योग्य छात्र/छात्राओं को 230/-रू० प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति व 10,000/-रू० प्रति वर्ष तक की शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के मापदण्डों के अनुसार की जाती है। इसके लिये परिवार की सालाना आय 2.00 लाख रू० से कम होनी अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उनके खाते में दी जाती है। इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए अल्प संख्यक वर्ग के दाखिला प्राप्त योग्य छात्र/छात्राएं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल- www.scholarship.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं तथा योजना की विस्तृत जानकारी www.disabilityaffair.gov.in & www.scholarship.gov.in पर भी देख सकते हैं।

- 19.4 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक की संख्या में छात्रों को निर्धनता तथा मैरिट के आधार पर 200 रू० प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थी के परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रू० से कम होनी अनिवार्य है।

- 19.5 दाखिला प्राप्त योग्य दिव्यांग छात्र/छात्राओं को 400रू० प्रतिमास छात्रवृत्ति, वाहन भत्ता 160रू० प्रतिमास, अनुरक्षक भत्ता (Escort Allowance) रू० 160/-प्रतिमाह (80प्रतिशत दिव्यांग के लिए) वास्तविक शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति (अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष) सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के मापदण्डों के अनुसार की जाती है। इसके लिये परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रू० से कम होनी अनिवार्य है। (इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल-www.scholarship.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं तथा योजना की विस्तृत जानकारी के लिए E-mail disabilityharyana@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।)यह छात्रवृत्ति Social Justice and Empowerment Department, Haryana द्वारा सीधे ही लाभार्थी छात्र/छात्राओं को दी जाती है।

19.6 सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में “Scholarship to Scheduled Caste Students studying in Govt. ITI’s.” योजना के अन्तर्गत दाखिला प्राप्त अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को 200/-रु0 प्रतिमास छात्रवृत्ति तथा 15/-रु0 प्रति माह ट्यूशन फीस की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस छात्रवृत्ति के लिये परिवार की अधिकतम सालाना आय की कोई सीमा नहीं है।

नोट: बिन्दु न0 19.6 में दिये गये भत्तों के इलावा पी.एम.एस नियमों के अनुसार दिव्यांग छात्र/छात्राओं को दस प्रतिशत अतिरिक्त भत्ते देय होंगे।

19.7 सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला प्राप्त महिलाओं व अनुसूचित जाति से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहनार्थ 1000 रु0 तक की Tool Kit निःशुल्क प्रदान की जाती है।

नोट: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राएँ जो एस.सी.वी.टी. स्कीम में दाखिल हुए तथा जो छात्र/छात्राएँ केन्द्रीय पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में कवर नहीं होते तो ऐसे छात्र/छात्राओं द्वारा उक्त स्कीम में आवेदन किया जा सकता है।

नोट:-

1. उपरोक्त छात्रवृत्तियाँ केवल हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं के लिए है तथा केवल उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों को देय होगी जिनकी प्रत्येक तिमाही में संस्थान में उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक होगी।
2. छात्रवृत्ति प्रत्येक तिमाही में देय होगी।
3. उपरोक्त छात्रवृत्तियों बारे सरकार द्वारा यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।
4. दाखिला प्राप्त छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति हेतु आय प्रमाण पत्र उप-मण्डल अधिकारी (सिविल)/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित किया गया (जहाँ अनिवार्य है) प्रस्तुत करेंगे। यदि परिवार पहचान पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित है तो इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
5. उपरोक्त छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के लिए (19.3 एवं 19.5 के अलावा) योग्य छात्र/छात्राएँ विभागीय पोर्टल (<http://erp.itihry.com>) पर विभाग द्वारा निर्धारित की गई अवधि में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित (दसवीं पास प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र) On-Line Apply करेंगे।
6. ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त छात्रवृत्ति के लिए योग्य पाए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति की अदायगी लेने के लिये अपने बचत खाते की पासबुक की फोटोप्रति खाता नंबर सहित स्वयं सत्यापित करते हुए प्रधानाचार्य को देनी होगी।
7. छात्रवृत्ति को प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों के लिये आधार कार्ड बनवाना व आधार नंबर को बैंक खाते से सीड (link) करवाना भी अनिवार्य है।

20. संस्थान का समय

सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का समय प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक रहेगा। प्रत्येक शनिवार, रविवार व केवल राजपत्रित अवकाश के दिन संस्थान बन्द होंगे। इसके अतिरिक्त सभी कार्य दिवसों को सभी संस्थान खुले रहेंगे। कोविड-19 के प्रकोप के कारण कार्य दिवस में व कार्य समय में कभी भी आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सकता है।

21. प्रवास सुविधा

उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में संस्थान के मुखिया द्वारा छात्रों का प्रवास एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त सीटों को मध्यनजर रखते हुए दाखिले उपरान्त 30 नवम्बर तक किया जा सकता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रही सभी छात्राओं को उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में उनका प्रवास दाखिला समाप्ति के एक माह तक किया जा सकता है। NCVT व्यवसाय यूनिट में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास NCVT व्यवसाय यूनिट में तथा SCVT व्यवसाय यूनिट में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास SCVT व्यवसाय यूनिट में रिक्त सीटों के प्रति ही किया जा सकता है। मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास केवल मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में ही किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्रवास हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल हुए छात्र/छात्राओं का प्रवास नहीं होगा। दाखिला प्रक्रिया सम्पूर्ण होने उपरान्त यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य संस्थान में प्रवास/माईग्रेशन करवाना चाहता है तो छात्रों को 500 रु0 की फीस तथा छात्राओं को 250 रु0 की फीस आन-लाईन जमा करवानी होगी।

22. प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष हिदायतें

- 22.1 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी संस्थान से बिना किसी सूचना के लगातार दस दिन अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम एक नोटिस देने उपरान्त संस्थान द्वारा काट दिया जाएगा, जिसके लिए प्रशिक्षणार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।
- 22.2 संस्थान से अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्रा से एक रूपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा। जो छात्र/छात्रा दिन के किसी भाग में संस्थान से अनुपस्थित रहेगा उसे भी उस दिन का एक रूपया जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना त्रैमासिक फीस के साथ देय होगा।
- 22.3 सभी राजकीय/निजी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं सप्ताह के प्रत्येक कार्यदिवस कोविभाग द्वारा गर्मी व सर्दी हेतु निर्धारित वर्दी पहन कर आएंगे। वर्दी का नमूना व रंग संस्थान कार्यालय में देखा जा सकता है।
- 22.4 जो छात्र/छात्राएं परीक्षा के लिए 80 प्रतिशत हाजरियां पूरी नहीं कर पाएंगे उन्हें अगले वर्ष पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा। DGT के निदेशानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पूर्व छात्रों को (जिनका नाम 80 प्रतिशत हाजरी पूरी न होने की वजह से कट चुका है) स्वीकृत सीटों के प्रति दाखिले में वरीयता दी जाएगी ताकि वे अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर सकें।
- 22.5 छात्र/छात्रा को 15 दिन का चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए तीन सप्ताह तक का तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 6 सप्ताह तक का चिकित्सा अवकाश सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जा सकता है।

23. परीक्षा

- 23.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से मान्यता प्राप्त व्यवसाय यूनियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा का आयोजन प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है और पास हुये छात्र/ छात्राओं को NCVT का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिन छात्र/छात्राओं का दाखिला SCVT स्कीम के अन्तर्गत होगा उनकी परीक्षा तथा प्रमाण पत्र SCVT स्कीम के अन्तर्गत जारी होगा।
- 23.2 केवल उन्ही प्रशिक्षणार्थियों को वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिसकी प्रत्येक विषय में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थितियां होंगी।
- 23.3 जो प्रशिक्षणार्थी 80 प्रतिशत हाजरियां पूरी कर लेते हैं परन्तु किन्ही कारणों से परीक्षा में नहीं बैठ सकते तो प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अगली परीक्षा में बैठ सकते हैं।

24. परीक्षा फीस :

- 24.1 एस.सी.वी.टी. व्यवसाय

प्राैक्टिकल/ ई.डी. / ओ.एम.आर. फीस

(क) नियमित छात्र	100 रुपये
(ख) फेल छात्र	100 रुपये (प्रति अवसर)
(ग) फार्म जमा करवाने की लेट फीस	500 रुपये

- 24.2 एन.सी.वी.टी. व्यवसाय

(i) प्राैक्टिकल/ ई.डी. फीस

(क) नियमित छात्र	100 रुपये
(ख) फेल छात्र	100 रुपये (प्रति अवसर)
(ग) फार्म जमा करवाने की लेट फीस	500 रुपये

(ii) सी.बी.टी. परीक्षा फीस

(क) नियमित छात्र	376 रुपये
(ख) फेल छात्र	376 रुपये (सभी विषय)
	213 रुपये (एक / दो विषय)

एक वर्षीय व दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु छात्र/छात्राओं से केवल एक ही बार परीक्षा शुल्क के साथ ही 100 रुपये मूल प्रमाण-पत्र का शुल्क लिया जायेगा।

25. प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र तथा व्यवसाय:-

- 25.1 दाखिला प्रक्रिया के दौरान प्रार्थी प्रत्येक जिले में चल रहे व्यवसायों एवं व्यवसायवार रिक्त सीटों बारे सूचना विभागीय वेबसाइट/दाखिला वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त करते हुए आपना विकल्प दाखिला फार्म में भर सकते हैं। प्रत्येक संस्थान में NCVT/SCVT स्कीम के अन्तर्गत चल रहे व्यवसायों बारे तथा उनमें कितने प्रार्थी दाखिल किए जाने हैं इस बारे सूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर व्यवसायों में परिवर्तन भी किया जा सकता है जो व्यवसाय NCVT स्कीम के अन्तर्गत चलाए गए हैं,केवल उनकी परीक्षा NCVT स्कीम के अन्तर्गत ली जाएगी।
- 25.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्तिम व्यवसायिक परीक्षा NCVT/SCVT के अन्तर्गत उत्तीर्ण करने उपरांत छात्र/छात्राएं' शिक्षता अधिनियम-1961'के अन्तर्गत निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ सरकारी विभागों/ निगमों में प्रशिक्षु नियुक्त हो सकते हैं। अधिनियम का विवरण वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in व www.apprenticeshipindia.org पर भी उपलब्ध है।
- 25.3 अंतिम परीक्षा पास करने के बाद हर छात्र/छात्रा को अपने संस्थान के सम्बन्धित व्यवसाय अनुदेशक तथा संस्थान के मुखिया से सम्पर्क रखना चाहिए जिससे कि संस्थान के मुखिया उसको अप्रेंटिस लगवाने/नौकरी दिलवाने/स्व रोजगार आरम्भ करने के बारे में उचित मार्ग-दर्शन कर सके।
- 25.4 सत्र 2022-23 में नए व्यवसाय आरम्भ किए जा सकते हैं तथा वर्तमान संस्थानोंकेस्वीकृत व्यवसायोंतथा स्वीकृत सीटों में फेर बदल भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य में नए संस्थान भी खोले जा सकते हैं व इनमें भी दाखिला सयुक्त योग्यता सूची से ही किया जाएगा। आवश्यकता पडने पर दाखिला प्रक्रिया, नियमों एवं दाखिला तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इस बारे में नवीनतम सूचना हेतु विभागीय वेबसाइट www.admissions.itiharvana.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।
- 25.5 जिन व्यवसाय यूनिटों में 6 अथवा 6 से कम दाखिला होगा, उन्हें बन्द करते हुए उन व्यवसाय यूनिटों में दाखिल छात्र/छात्राओं को उनकी सुविधा/विकल्प अनुसार सम्बन्धित व्यवसायों अथवा नजदीकी संस्थानों में समायोजित किया जा सकता है। NCVT व्यवसाय में दाखिल छात्र/छात्राओं का समायोजन NCVT व्यवसाय में तथा SCVT व्यवसाय में दाखिल छात्र/छात्राओं का समायोजन SCVT व्यवसाय में रिक्त सीटों के प्रति ही किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन पत्र भर कर जमा (submit) करने पर प्रार्थी उन सभी नियमों, प्रतिबंधों तथा उपबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो विवरण-पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं एवं जिनमें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है या नवीनतम नियम भी लागू किए जा सकते हैं।
2. यदि किसी प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व/प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो उस प्रार्थी का आवेदन/दाखिला निरस्त कर दिया जायेगा।
3. यह देखा गया है कि प्रार्थी अन्य वर्ग/वरीयता कॉलम में वरीयता के पात्र न होते हुए भी उसका चयन कर लेते हैं जिससे उस वर्ग में उनका चयन होने के उपरान्त पात्रता के अभाव में प्रवेश नहीं हो पाता है। अतः प्रार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि पात्रता होने पर ही सम्बन्धित वर्ग/वरीयता का चयन करें। यदि कोई प्रार्थी ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अधूरी, अस्पष्ट अथवा गलत सूचना अंकित करता है तो आवेदन-पत्र की ऐसी सूचनायें आवेदन जमा (Submit) करने के बाद सशोधित नहीं की जा सकेगी। अपूर्ण/अस्पष्ट सूचना के कारण प्रार्थी को होने वाली हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे अपूर्ण/अस्पष्ट/गलत भरे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
4. ऑनलाईन दाखिला आवेदन पत्र में उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय/संस्थान के अधिकतम 15 विकल्प भर सकते हैं। उम्मीदवार केवल वही विकल्प भरें जिनमें दाखिला लेना है क्योंकि सीट आबटित होने उपरान्त यदि छात्र/छात्रा ने दाखिला नहीं लिया तो उसे आगामी दाखिला काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। यद्यपि यदि वह भाग लेना चाहता तो छात्र को 500 रु व छात्रा को 250 रु0 जुर्माना राशी भरनी होगी।
5. विवरण पुस्तिका में दिये गये विवरण केवल प्रार्थी के सूचनार्थ एवं निर्देशार्थ हैं। विवरण पुस्तिका वैधानिक प्रलेख नहीं है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा।
6. यदि किसी चयनित प्रार्थी के प्रवेश कीन्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र/मूल अंक तालिका (अस्थायी अथवा प्रतिबन्धों के साथ मान्य नहीं है) की 'प्राप्ति' विलम्ब से होती है अथवा किसी अन्य कारणवश यदि प्रार्थी संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक वांछित शैक्षिक अर्हता का प्रमाण-पत्र आदि नहीं प्रस्तुत करता है अथवा प्रवेश नहीं ले पाता है तो सम्बन्धित प्रार्थी को प्रवेश प्रदान कराने का उत्तरदायित्व संस्थान/विभाग का नहीं होगा तथा प्रार्थी का चयन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
7. पहली तीन काउंसलिंग चरण केवल हरियाणा निवासी प्रार्थियों के लिए है, चौथे ऑनलाईन दाखिले के लिए संयुक्त मैरिट सूची में अन्य राज्यों के प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन भी शामिल किए जाएंगे। विभाग के पास किसी भी दाखिला चरण के पश्चात नए आन-लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया आरम्भ करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. द्वितीय काउंसलिंग चरण के बाद सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत सीटों में से रिक्त बची सीटों को संबंधित आरक्षण वर्ग की सीटों में जोड़ दिया जायेगा तथा महिलाओं का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।
9. तृतीय काउंसलिंग के बाद आरक्षित कोटे में रिक्त बची सभी सीटों को सामान्य वर्ग में जोड़ दिया जायेगा तथा सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।
10. प्रार्थी ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क जो कि अप्रतिदेय है (non-refundable) जमा करवायेंगे। यह शुल्क बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड तथा Net banking द्वारा ऑनलाईन माध्यम अथवा सरकार द्वारा अधिकृत ग्राहक सेवा केन्द्रों (CSC) से भी जमा करवाया जा सकता है।
11. महिला उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग शुल्क पूर्णतः माफ होगा।
12. अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (EWS) के प्रार्थियों से 50 रु0 एवं सामान्य वर्ग के प्रार्थियों से 100 रु0 online counseling शुल्क लिया जाएगा।
13. दाखिले के लिए मैरिट सूची बनाने से पहले प्रार्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों की जांच नहीं की जायेगी। प्रार्थियों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दी गई सूचना को सत्य माना जायेगा तथा यदि बाद में दाखिले के समय प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे प्रार्थियों के आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। ऐसे प्रार्थी दाखिले के पात्र नहीं होंगे तथा उन द्वारा जमा की गई फीस भी वापिस नहीं की जायेगी।
14. मैरिट सूची के लिए उन्हीं आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जायेगा, जिनकी काउंसलिंग फीस जमा हो चुकी है।

15. प्रार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यताओं व चरित्र प्रमाण-पत्र, आरक्षण प्रमाण-पत्र इत्यादि की मूल प्रतियां दाखिले की तिथि को अपने साथ लेकर संस्थान में आये अन्यथा दाखिला नहीं किया जायेगा जिसके लिये प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।
16. जिन प्रार्थियों ने दाखिले के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा हरियाणा राज्य में स्थित हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से पास की है तथा यह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से पास परीक्षा के समकक्ष है, उन्हें हरियाणा निवासी प्रमाण-पत्र दाखिले के समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
17. दाखिले हेतु उपलब्ध व्यवसायों/यूनिटों की सूची एवं सीटों की संख्या विभागीय वैबसाईट www.admissions.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है।
18. NCVT से सम्बद्ध व्यवसाय यूनिट में दाखिला लेने के बाद प्रार्थी को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद NCVT का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जो कि पूरे भारत-वर्ष में मान्य है। SCVT से सम्बद्ध व्यवसाय यूनिट में दाखिला लेने के बाद प्रार्थी का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद SCVT का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जो कि केवल राज्य सरकार से ही मान्यता प्राप्त है। अतः SCVT व्यवसाय में दाखिला से पूर्ण प्रार्थी पूर्णतरह से समझ लें कि इन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद SCVT का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
19. सत्र 2022-23 में दाखिले के इच्छुक प्रार्थियों के पास अपना वैध मोबाईल नम्बर, परिवार पहचान पत्र तथा अपनी ई-मेल आई.डी एवं आधार कार्ड होना अनिवार्य है तथा केवल ऐसे प्रार्थी ही दाखिले के पात्र होंगे।
20. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र पंचकुला में स्थित न्यायालय ही मान्य होगा। प्रार्थी के प्रवेश के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा तथा प्रार्थी विभाग के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे।

ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

1. हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रार्थी काउंसलिंग वेबसाइट www.admissions.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें तथा अपना पंजीकरण पूर्ण करें। ऑन लाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया 30.07.22 से 16.08.2022 तक चालू रहेगी तथा प्रार्थी आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल नये पंजीकरण के लिए बंद कर दिया जाएगा।
2. प्रार्थी ऑनलाईन आवेदन से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा उनसे सहमत होने के बाद ही आवेदन पत्र भरें।
3. अगर प्रार्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो वह दाखिले के लिए बनाए गए हैल्प लाईन से मदद ले सकता है। दाखिले में सहायता के लिए दूरभाष नं0 दाखिला वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन फार्म भरने की पूरी जानकारी उपलब्ध है।
4. ऑनलाईन पंजीकरण के लिए प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनाएं भरनी आवश्यक है ताकि यह सूचना बाद में सीट आवंटन हेतु प्रयोग की जा सके।

आवेदक का नाम,लिंग,आरक्षण वर्ग (पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति इत्यादि),शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं में प्राप्त अंक),पिता/माता का नाम,व्यवसाय/संस्थान का चयन,मोबाईल नं0. आधार नंबर, परिवार पहचान पत्र एवं अपनी ई-मेल आईडी0 इत्यादि।

नोट:- प्रार्थी इन सब सूचनाओं को पोर्टल पर भरने से पहले भली-भांति चैक कर लें। एक बार ये सब सूचनाएं पोर्टल पर भरने उपरांत इनमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा तथा किसी भी गलती के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। उपरोक्त सभी सूचनाएं पोर्टल पर भरने के बाद प्रार्थी को उपयोगकर्ता/पासवर्ड का SMS दिए गए मोबाईल नं0 पर प्राप्त होगा। प्रार्थी को यह विशेष हिदायत दी जाती है कि वे अपने पंजीकरण का पासवर्ड गोपनीय रखें तथा उसे अपने तक ही सीमित रखें ताकि कोई अन्य इसका दुरुपयोग न कर सके तथा इसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

5. ऑनलाईन दाखिले का पंजीकरण केवल एक बार ही किया जाएगा तथा यह पहले चार चरणों में ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए मान्य होगा। विभाग के पास किसी भी दाखिला चरण के पश्चात नए आन-लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया आरम्भ करने का अधिकार सुरक्षित है।
6. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद प्रार्थी अपने भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें तथा इसे अपने पास सुरक्षित रखें। इसके साथ प्रार्थी पंजीकरण के लिए बनाया पासवर्ड भी सुरक्षित रखें।
7. केवल उन्हीं आवेदन पत्रों को दाखिले हेतु स्वीकार किया जाएगा जिनका काउंसलिंग शुल्क निर्धारित समय सीमा में जमा किया गया है।
8. फीस जमा करवाने के बाद प्रार्थी काउंसलिंग पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करें तथा दाखिले हेतु अपनी इच्छानुसार व्यवसायों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन करते हुए उन्हें अपनी वरीयता अनुसार कम में लगाएं।

पसंद अनुसार व्यवसाय तथा संस्थान चुनना

9. प्रार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-2 व्यवसायों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन कर सकते हैं। प्रार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे व्यवसाय/संस्थान के ज्यादा से ज्यादा (अधिकतम 15) विकल्प भरें ताकि उन्हें पहली ही काउंसलिंग में सीट आवंटित हो सके।
10. प्रार्थियों को अपनी पसंद अनुसार चुने गए व्यवसायों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को वरीयता के क्रम में लगाकर एक निर्धारित तिथि तक लॉक करना अनिवार्य है ताकि यह सूचना सीट आवंटन/योग्यता सूची तैयार करने हेतु उपलब्ध हो सकें। प्रार्थियों को समय-समय पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपने द्वारा दिए गए विकल्पों को दाखिला वेबसाइट पर जमा करा दें।

सीट आवंटन

11. ऑनलाईन दाखिले के लिए पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के पश्चात निर्धारित की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता अनुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग, चुने गए व्यवसाय/संस्थान तथा संस्थानों में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों पर निर्भर होगा। यह सीट आवंटन पूर्णतया: अस्थायी होगा।

मैरिट सूची तथा सीट आवंटन

- 12 मैरिट सूची के आधार पर किया गया सीट आवंटन निर्धारित तिथि को घोषित किया जाएगा तथा यह दाखिला वैबसाईट पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही प्रार्थी ऑनलाईन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपने अस्थायीसीट आवंटन पत्रकी प्रति ले सकते हैं।

(यह सीट आवंटन पूर्णतया: अस्थायी है तथा प्रार्थी के शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों की जांच पड़ताल,मूल दस्तावेजों की पुष्टि उपरान्त एवं दाखिलाशुल्क जमा करवाने पर निर्भर है)

सीट आवंटन की सूचना सभी प्रार्थियों को SMS द्वारा भी प्रदान की जाएगी जिन्होंने पंजीकरण के समय अपना सही मोबाईल नंबर दिया है।

दाखिले के लिए संस्थान में रिपोर्ट करना

- 13 यदि प्रार्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी प्रमाण-पत्र सही / पूरे पाए जाते हैं तो दाखिला शुल्क ऑनलाईन जमा करने के बाद सम्बन्धित संस्थान प्रार्थी को दाखिला पत्र प्रदान करेगी।

(कोई भी दाखिला प्राप्त छात्र/छात्रा यदि काउंसलिंग में सीट आवंटन से संतुष्ट नहीं है तो वह आगामी काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इस स्थिति में छात्र/छात्रा का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और छात्र/छात्रा द्वारा दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा)।

Annexure-A

(List of Engineering & Non-Engineering trades & their Entry qualification)

Sr. No.	Trade	Trade type	NSQF level	Course duration	Entry qualification	Unit Size 2022 as per syllabus	PWD SUITABLE
1	Advance CNC Machining	Engg	5	2 Yrs	Class 12th pass	24	LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
2	Architectural Draughtsman	Engg	5	2 Yrs	Passed 10 th class examination under 10+2 System of education with Science and Mathematics	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD, MD
3	Carpenter	Engg	4	1 Yr	Passed 8 th class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
4	Catering & Hospitality Assistant	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	20	LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, HH, AUTISM
5	Computer Aided Embroidery and Designing	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
6	Computer Hardware & Network Maintenance	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, AUTISM, SLD
7	Computer Operator and Programming Assistant	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, HH, AUTISM, SLD
8	Cosmetology	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, HH, DEAF, OH (LL)
9	Data Entry Operator	Non-Engg	4	6 mnts	Passed 10th class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, HH, AUTISM, SLD
10	Dental Laboratory Equipment Technician (Only in Pvt. ITI)	Non-Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination	24	NIL
11	Desktop Publishing Operator	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
12	Draughtsman (Civil)	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, MD

13	Draughtsman (Mechanical)	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th Class examination with Science and Mathematics or its equivalent	20	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD, MD
14	Drone Technician	Engg	4	6 months	Passed 10th Class examination with Science and Mathematics or its equivalent	24	LD,DEAF,LC,DW,AA,LV,HH
15	Dress Making	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 08th class examination	20	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
16	Electrician	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
17	Electronics Mechanic	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD
18	Electroplater	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
19	Fashion Design & Technology	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	20	LD,CP,LC,DW,AA,LV,DEAF, HH,AUTISM,ID,SLD
20	Fiber to Home Technician	Non-Engg	4	6 mnts	Passed 10th Examination	24	LD, CP, LC, DW, LV, AA, LV
21	Finance Executive	Non-Engg	4	1 yr	Passed 10th class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, AUTISM
22	Fire Technology and Industrial Safety Management	Non-Engg	4	1 Yr	a. Passed class 10th class Examination b. The minimum physical requirements are i. Height - 165 cm ii. Weight - 52 kg iii. Chest - Normal 81 cm - Expanded 85 cm iv. A registered MBBS doctor must certify that the candidate is medically fit to undertake the course	24	LD
23	Fitter	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th Class examination with Science and Mathematics or its equivalent	20	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF

24	Food Production (General)	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, HH, DEAF, AUTISM, SLD, ID
25	Food & Beverages Services Assistant (only in Pvt. ITI)	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	20	LD, CP, LC, DW, AA, LV, HH, DEAF, AUTISM, SLD, ID
26	Footwear Maker	Non-Engg	3	1 Yr	8th passed	20	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
27	Forger & Heat Treater (SCVT only)	Non-Engg		1 Yr	Passed 10th class examination	20	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
28	Foundryman	Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
29	Geriatric (Old age) Care	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
30	Health Safety & Environment	Non-Engg	4	1 Yr	a) Passed class 10 Examination b) The minimum physical requirements are i. Height - 165 cm ii. Weight - 52 kg iii. Chest - Normal 81 cm - Expanded 85 cm A registered MBBS doctor must certify that the candidate is medically fit to undertake the course	24	LD
31	Health Sanitary Inspector	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD, LC, DW, AA, LV, HH, DEAF, AUTISM, SLD, ID
32	Hospital House Keeping (only in Pvt. ITI)	Non-Engg	4	1 Yr	Pass in 10th Class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
33	House keeper (only in Pvt. ITI)	Non-Engg	4	1 Yr	Pass in 10th Class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
34	Human Resource Executive	Non-Engg	4	1 yr	Passed 10th class examination	24	LD,CP,LC,DW,AA,LV,AUTISM
35	Information Communication Technology System Maintenance	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV
36	Information Technology	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV

37	In Plant Logistics Assistant	Engg	4	1 yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
38	Instrument Mechanic	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM
39	Interior Design & Decoration	Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination with Science & Mathematics or its equivalent	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD, MD
40	Laboratory Assistant (Chemical Plant)	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th Class Examination with science and mathematics or its equivalent.	20	LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
41	Leather Goods Maker	Non-Engg	3	1 Yr	8th passed	20	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
42	Lift and Escalator Mechanic	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	24	LD, LC, DW, AA, DEAF, LV
43	Litho Offset Machine Minder (SCVT only)	Non-Engg		1 Yr	Passed 10th class examination	20	
44	Machinist	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	20	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
45	Machinist (Grinder)	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	20	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
46	Mechanic (Motor Vehicle)	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its Equivalent	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
47	Mechanic (Tractor)	Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination with Maths and Science	20	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
48	Mechanic Agricultural Machinery	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Maths and Science	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
49	Mechanic Auto Body Painting	Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination or its equivalent.	20	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF

50	Mechanic Auto Body Repair	Engg	4	1 Yr	Passed 10th class with Science and Mathematics or its equivalent.	20	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
51	Mechanic Consumer Electronics Appliances	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class with Science and Mathematics or its equivalent.	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD
52	Mechanic Diesel	Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination with maths and Science	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
53	Mechanic Machine Tools Maintenance	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th Class Examination with Science and Mathematics or its equivalent	24	LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
54	Mechanic Two & Three Wheeler	Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	20	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
55	Multimedia Animation & Special Effects	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, AUTISM, SLD
56	Operator Advanced Machine Tool	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics	16	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
57	Painter General	Engg	5	2 Yrs	Passed 8 th class examination.	20	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD, MI
58	Physiotherapy Technician	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	Not considered as medical trade
59	Plastic Processing Operator	Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent	20	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD, MI
60	Plumber	Engg	4	1 Yr	8 th pass	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
61	Plywood Manufacturing (new) (SCVT only)	Engg		1 Yr	10th passed	20	LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
62	Radiology Technician	Non-Engg	5	2 Yrs	Passed 10th Class examination with Science and Mathematics or its Equivalent.	20	Not suitable. Not considered as medical trade
63	Refrigeration & Air-conditioning Technicain	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class with Science and Mathematics or its equivalent.	24	LD,CP,LC,DW,AA,,LV,DEAF ,HH

64	Sewing Technology	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 8 th class examination	20	LD,CP,LC,DW,AA,LV,DEAF, HH,AUTISM,ID,SLD
65	Sheet Metal Worker	Engg	3	1 Yr	8 th pass	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
66	Soil Testing & Crop Technician	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination with Science and Mathematics.	24	LD, CP, LC,DW,AA,LV,DEAF,HH,AUTISM,ID,SLD
67	Solar Technician (Electrical)	Engg	4	1 Yr	Passed 10th class with Science and Mathematics or its equivalent.	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, LV, HH
68	Spinning Technician	Engg	5	2 yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent	20	LD,CP,LC,DW,AA,LV,DEAF, HH,AUTISM,ID,SLD
69	Stenographer & Secretarial Assistant (English)	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD (LL), CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, AUTISM
70	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)	Non-Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination	24	LD (LL), CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, AUTISM
71	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	Non-Engg	4	1 Yr	8 th pass	20	LD,CP,LC,DW,AA,LV,DEAF, HH,AUTISM,ID,SLD
72	Surveyor	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	24	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD, MD
73	Technician Electronics System Design & Repair	Engg	5	2 yrs	a) 10th Class Passed b) Lateral Entry: Direct 2nd Year admission for NTC Passed Out (Two Years Courses) In Electronics & Hardware Sector or IoT Group of trades.	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD
74	Technician Mechatronics	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th Class with Science and Mathematics or its equivalent	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
75	Technician Power Electronic System	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class with Science and Mathematics or its equivalent.	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD
76	Textile Wet Processing Technician	Engg	5	2 yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics	20	LD,CP,LC,DW,AA,LV,DEAF, HH,AUTISM,ID,SLD

77	Tool & Die Maker (Dies & Moulds)	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	24	LD,LC,DW,AA,LV,DEAF
78	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	24	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
79	Turner	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	20	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
80	Warehouse Technician	Engg	4	1 Yr	Passed 10th class examination.	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
81	Weaving Technician	Engg	5	2 Yrs	Passed 10th class examination with Science and Mathematics or its equivalent.	24	LD,CP,LC,DW,AA,LV,DEAF, HH,AUTISM,ID,SLD
82	Welder	Engg	4	1 Yr	Passed 8 th class examination	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
83	Welder (Fabrication & Fitting)	Engg	3	1 Yr	Passed 8 th class examination	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
84	Welder (GMAW & GTAW)	Engg	3	1 Yr	Passed 8 th class examination	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
85	Welder (Pipe)	Engg	3	1 Yr	Passed 8 th class examination	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
86	Welder (Welding & Inspection) (only in Pvt. ITI)	Engg	3	1 Yr	Passed 8 th class examination	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
87	Wireman	Engg	4	2 Yrs	8 th pass	20	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH

Annexure-B

A) List of NCVT Trades under Dual System of Training 2022-2023 & 2022-2024

Sr. No.	Name of GITI	Name of Trade for which MoU signed	No. of Unit	Name of Industry
1	Ambala City	Turner	1	M/s Godawri Trading Com. Ambala
		Diesel Mechanic	1	M.s Metro Motors Ambala Cantt
		Motor Mechanic Vehicle	1	
		Motor Mechanic Vehicle	1	Haryana Roadways, Ambala City
		Diesel Mechanic	1	
2	Adampur	Electrician	1	M/s Electromech Power, Adampur
		Welder	1	
		Mechanic Tractor	1	M/s The Sukhmani Automobiles, Adampur
		Mechanic Diesel	1	M/s G.S. Motors, Adampur
3	Ambala Cantt.	Welder	1	M/s OSAW Udyog Pvt. Ltd.
		Machinist	1	M/s OSAW Udyog Pvt. Ltd.
		Fitter	1	
4	Asaudah	Fitter	1	M/s Indus Appliances Pvt. Ltd.
		Electrician	1	
		Welder	1	M/s Creative Hi-Tech Pvt. Ltd.
5	Bahadurgarh	Machinist	1	M/s Indus Appliances Pvt. Ltd.
		Electrician	3	
			Fitter	
		Welder	1	
		Diesel Mechanic	1	Haryana Roadways, Jhajjar
		Motor Mechanic Vehicle	1	
		Painter (G)	1	
		Welder	1	
6	Barara at Holi	Painter General	1	M/s OSAW AGRO Industries (P) Ltd.
		Welder	1	
		Carpenter	1	M/s 9-Design Crafts (P) Ltd.
		Mechanic Motor Vehicle	1	Samriti Motors Pvt. Ltd.
7	Balsamand	COPA	2	M/s H.P. Cotton Textile
		Electrician	2	
		Fitter	2	
		Electronic Mechanics	1	

8	Barwala	Sewing Technology	1	M/s Silver Star
		Carpenter	1	M/s Radha Doors
9	Bapoli	Welder	1	Panipat Cooperative Sugar Mill Panipat
		Motor Mechanic Vehicle	1	Aaryaman Automobiles, Panipat
10	Bharanpur	Fitter	1	M/s Kirpa Agro Industries
				M/s K.C. Engineers Ltd.
		Welder	1	M/s Naraingarh Sugar Mill Ltd.
11	Bhiwani	Technician Power Electronics System	1	Chauhan Electronics
		Electrician	1	
		Mechanic Motor Vehicle	1	Mahadev Motors
12	Bhaproda	Wireman	1	M/s INDUS APPLIANCE Pvt. LTD.
		Fitter	1	M/s Sleek Brake Products
		Fitter		M/s MAS Equipment Pvt. Ltd.
		Machinist	1	
		Electrician	1	M/s Victory Electric Vehicles International Pvt. Ltd.
13	Bhodia Khera	Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways
14	Butana	Welder	1	Xen, UHBVN, OP Division, Gohana

15	Chhara	Welder	1	M/s Victory Electric Vehicles International Pvt. Ltd.
16	Faridabad	Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Faridabad
		Mechanic Diesel	1	M/s Escorts Ltd., Faridabad
		Welder	1	M/s JBM Auto Limited
		Tool & Die	1	
		Carpenter	1	M/s Hettich India Ltd.
		Welder	1	Haryana Roadways, Faridabad
		Welder	1	M/s Star Wire India Ltd.
17	Faridabad(W)	Sewing Technology	1	M/s PEE EMPRO Exports Pvt. Ltd.
		Dress Making	1	
		Sewing Technology	1	Akriti Apparels, Faridabad
		Dress Making	1	Akriti Apparels, Faridabad
18	Fatehpur Biloch	Fitter	1	M/s Surya Shakti Vessels Pvt. Ltd.
19	Gannaur		1	M/s Satyam Polyknits, Gannaur
		Machinist		M/s Rishabh Sanitary Appliances Pvt. Ltd., Gannaur
20	Gohana	Fashion Design & Technology	1	Riba Textiles Limited
		Fitter	2	
		Turner	2	MNP Turnmatics
		Electrician	2	UHBVN, Gohana Division

21	Gurugram	Food Production General	1	M/s Haldiram Mfg.Co. Pvt. Ltd.
		Welder	1	M/s Caparo Maruti Limited
		Welder	1	
		Welder	1	
		Welder	1	
		Fiber to Home Technician (Telecome)	1	M/s Triple Play Interactive Network Pvt. Ltd.
		Machinist	1	M/s Munjal Showa Ltd.
		Fitter	1	M/s Denso Haryana Pvt. Ltd.
		Electronic Mechanics	1	
		Electrician	1	
		Fitter	1	Hero Moto Corp. Ltd.
		Mechanic Motor Vehicle	1	
		Turner	1	
		Painter General	1	
RAC	1	Voltas Limited		
RAC	1			
22	Gurugram(W)	Electronic Mechanics	1	M/s Mindarika Pvt. Ltd.
23	Hassangarh	Electrician	1	M/s SnPc Machines Pvt. Ltd., Sonipat
		wireman	1	
		Painter (G)	1	
		Welder	1	
		Mechanic Motor Vehicle	1	M/s Mohan Earth Movers LLP, Rohtak
		Mechanic Tractor	1	M/s Universal Precision Screws, Rohtak
		Fitter	1	
		Turner	1	
		Carpenter	1	M/s Shubham Interiors, Rohtak

24	Hisar	Refrigeration & Air Conditioning Tech.	1	M/s Ashoka Engineers
		Mechanic Diesel	1	M/s OM Diesels Pvt Ltd.
		COPA	1	M/s Jindal Stainless (Hisar) Ltd.
		Carpenter	1	M/s Radha Doors, Hisar
		Mechanic Diesel	1	M/s Panchmukhi Automobile, Hisar
		Fitter	1	M/s Jindal Stainless (Hisar) Ltd.
		Mechanic Motor Vehicle	1	M/s Orion Motors Pvt. Ltd., Hisar
25	Hansi	Mechanic Diesel	1	Modern Automobiles
26	Jind	Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Jind
		Fitter	1	The Jin Co-Op Sugar Mill Ltd.
27	Jhajjar at Gudha	Electrician	1	Denso Haryana Private Ltd Ddari Toye Jhajjar
		Fitter	1	
		Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Jhajjar
		Mechanic Diesel	1	
		Sewing Technology	1	Uniparels Private Ltd Jhajjar
		Mechanic Tractor	1	M.s Friends Tractor Pvt Ltd Jhajjar

28	Karnal	Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Karnal
		Turner	1	Singla Motors Pvt. Ltd.
				M/s Hindustan Pumps & Elect. Engg.
		Fitter	1	M/s Pair Agroking Pvt. Ltd.
				M/s Partap Iron Works
		Welder	1	M/s Pair Agroking Pvt. Ltd.
				M/s Partap Iron Works
		Motor Mechanic Vehicle	1	M/s PP Automotive Pvt. Ltd.
				M/s Nirmal Motors
				M/s Green Autos
		Motor Mechanic Vehicle	1	M/s Bansal Motors Karnal
				M/s Samta Motors Karnal
				M/s Best Cars Karnal
		Fitter	1	M/s Modern Industries Karnal
				M/s J K Pumps Ltd Karnal
				Ms/ Goodrich Carbohydrates Pvt Ltd Karnal
				Ms Rajindra Agro Industries Karnal
		Mechanic Diesel	1	M.s Metro Motors Pvt Ltd Karnal
				Karnal Motors Pvt Ltd Karnal
		Welder	1	M/s Rajindra Agro Industries Karnal
M/s Piara Singh & Sons Karnal				
M/s Indo Farm Implement Karnal				
Mechanic Diesel	1	M/s Gulati Diesels Karnal		
		Vishal Power System Karnal		
Painter (G)	1	Samta Motors PVt Ltd Karnal		
		Karnal Motors Pvt Ltd Karnal		
		M/s PP Automotive Pvt. Ltd.		
Carpenter	1	Century Plybiords Ltd Karnal		
		M/s Aahana Décor Ltd Karnal		

29	Kalka at Bitna	Mechanic Diesel	1	Haryana Roadways, Panchkula
		Machinist	1	M/s Raja Gears Pvt. Ltd.
				M/s Milestone Gears Pvt. Ltd., Panchkula
				M/s A.V. Enterprises
		COPA	1	M/s HMT Machine Tools Limited, Pinjore
		Fitter	1	
		Machinist	1	
		Turner	1	
		Carpenter	1	Haryan Roadways, Panchkula
		Mechanic Diesel	1	
		Painter (G)	1	
		Welder	1	
		30	Kaithal	Welder
Mechanic Tractor	1			M/s New Kissan Machinery Store
				M/s Kaithal Tractors
Carpenter	1			M/s Jaswant Rai & sons
				M/s Panchal Wood Works

31	Khakrhoda	Welder (Ext. for session 2022-23)	1	SnPC Machining Pvt. Ltd.
		Fitter	1	Sandeep Enterprises Pvt. Ltd.
		Machinist	1	Toyo Springs Ltd.
		Welder	1	
		Motor Mechanic Vehicle (Ext. for session 2022-24)	1	Jagmohan Automotive Pvt. Ltd.
32	Kurukshetra	Mechanic Tractor	1	M/s Kisan Tractors
				M/s Vishwakarma Automobiles
				M/s Dashmesh Tractors
				M/s Jaswant Singh & Sonsa
		Electrician	1	The Shahbad Co-operative Sugar Mills Ltd.
				M/s Kabir Engg. Works
		Carpenter	1	Haryana Roadways, Krurukshetra
				M/s Incos Woodtech
		Welder	1	Haryana Roadways, Krurukshetra
				The Shahbad Co-operative Sugar Mills Ltd.
33	Kundmanethi	Welder	2	M/s Caparo Maruti Ltd., Bawal

		Mechanic Motor Vehicle	1	Maruti Suzuki Dinco 4 Wheels LLP
		Electrician	1	M/s TXD (India) Technology Pvt. Ltd.
		Fitter	1	Munjal Auto Industries Ltd.
34	Kiloi	Fitter	1	M/s Bhagwan Automatics
		Machinist	1	M/s Rohtash Fasteners Pvt. Ltd.
		Electrician	1	M/s Green Tech Limited
		Welder	1	M/s Green Tech Limited
35	Matanhail	Fitter	1	M/s Visaka Industry
		Turner	1	
		Fitter	1	M/s Ultratech Cement Limited (Aditya Birla Group, Jharli, Jhajjar)
		Instrument Mechanic	1	
36	Meham	COPA	1	The New Computer World Education
		Fitter	1	M/s Sahyog Engg. Industries
		Machinist	1	
		Tool & Die	1	M/s D.P. Industries
		Turner	1	M/s Savitri Forging
37	Nalwa	COPA	1	M/s Jindal Stainless (Hisar) Ltd.
		Welder	1	M/s Aggarwal Electrical and Infrastructure Pvt. Ltd.

38	Narnaul	Motor Mechanic Vehicle	1	General Manager Haryana Roadways Narnaul
		Sheet Metal Works	1	
39	Nathusari Chopta	Welder	1	Haryana Roadways
40	Nuh	Fitter	1	M/s Hyline Auto Pvt. Ltd., Nuh
41	Panchkula	Catering & Hospitality Assistant	2	M/s Hottel Pallavi
		Food Production General	2	M/s Hottel Pallavi
		Cosmetology	1	About U Unisex Salon Panchkula
42	Palwal	Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways
		Welder	1	M/s Dee Development Engineers Limited
		Tool & Die Maker	1	M/s Wide India Industries Prithla
		Welder (Fitting & Fabrication)	1	M/s Venus Industrial Corp. Pvt. Ltd.
		Fitter	1	M/s Shivani Locks Pvt. Ltd.
43	Panipat	Sheet Metal Worker	1	Haryana Roadways, Panipat
		Sheet Metal Worker	1	
		Carpenter	1	

		Carpenter	1	
		Mechanic Motor Vehicle	1	
		Welder	1	
		Welder	1	
		Electrician	1	
		Turner	1	M/s Friends Engineering Works
		LACP	1	M/s Bharat Test Lab.
		Fitter	1	M/s Friends Engineering Works
		Fitter	1	
44	Panipat(W)	Sewing Technology	1	M/s Mahajan Overseas Pvt. Ltd., Panipat
		Surface Ornamentation Technique	1	
45	Pehowa	Electrician	1	M/s Sainsons Paper Industries Pvt. Ltd.
				M/s ABS Toughened Glasses Pvt. Ltd.
				M/s Haryana Milkfood Pvt. Ltd.
		Refrigeration & Air Conditioning Tech.	1	M/s Anurag Care Center
				M/s Haryana Milkfood Pvt. Ltd.
		TPES	1	M/s Sandeep Corporation Pvt. Ltd.

			1	M/s UK Unisex Beauty and Saloon
		Basic Cosmetology		M/s Crazy Beauty Parlar
				M/s Shiwani Beauty Parlour
			1	M/s Keerat Fashion Boutique, Pehowa
		Sewing Technology		M/s Dashmesh Boutique
				M/s Chauhan Tailor & Fashion Designer
		Mechanic Motor Vehicle	1	The G.M. Haryana Roadways, Pehowa
		Carpenter	1	
46	Raipur Rani	Sewing Technology	1	M/s Mysense Incorporation
47	Rawalldhi	Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Charkhi Dadri
		Mechanic Diesel	1	
48	Rewari	Fitter (4 units)	2	M/s Hero Moto Corp. Pvt. Ltd., Dharuhera
		Mechanic Motor Vehicle (2 units)	1	
		Painter	1	Kansai Nerolac Paints Ltd., Bawal
		Welder (2 units)	2	M/s Exide Industries Limited
49	Rohtak	Mechanic Tractor	1	M/s MG Motors (Tata Motors)

				M/s Balhara Auto Company
				M/s Dahiya Automobiles
		1	Sheet Metal Worker	M/s MG Motors (Tata Motors)
				M/s Kamal Coach Builders
		1	Food Production General	M/s Haryana Tourism Corporation Limited, Myna Rohtak
		1	Catering & Hospitality	M/s Haryana Tourism Corporation Limited, Tilya Rohtak
		1	Surveyor	M/s Ashilya Consultants Pvt. Ltd., Rohtak
		1	Electronic Mechanics	M/s VM Electronics, Rohtak
				M/s Peehu Electronics, Rohtak
		1	Turner	M/s Universal Precision Screws, Rohtak
		1	Tool & Die Maker	
		1	Machinist Grinder	
		1	Instrument Mechanic	The Haryana Co-operative Sugar Mills, Rohtak
		1	Turner	
		1	Instrument Mechanic	The Rohtak Coop. Milk Producer Union Ltd., Vita Milk Plant, Rohtak
		1	Refrigeration & Air Conditioning Tech.	
50	Salhawas	1	Plumber	M/s Maan Trading Co.

		Welder	1	M/s Jakhar Fabricator Trading Co.
51	Sadhaura	Fitter (SCSP)	1	M/s Chanderpur Works Pvt. Ltd., Yamuna Nagar
		Motor Mechanic vehicles	1	Metro Motor Pvt Ltd
				Haryana Roadways
52	Samalkha(W)	Surface Ornamentation Technique	1	M/s Mahajan Overseas Pvt. Ltd., Panipat
		Sewing Technology	1	
53	Saharanwas	Welder	1	Munjal Industries Limited, Bawal
		Welder	1	Munjal Auto Industries Ltd. Bawal
		Fitter	1	Gupta Metal Sheetal Rewari
54	Sonepat	Electrician	1	M/s Big Deeper Industries LLP
		Electronic Mechanics	1	
		Painter General	1	JSG Innotech Pvt. Ltd.
		PPO	1	
		Fitter	1	
				Mechanic Diesel
55	Sonipat(W)	Cosmetology	1	M/s Vicky Hair Saloon
		Cosmetology		M/s Kanika beauty Parlour & Makeup Studio

		Cosmetology		M/s Green Beauty Parlour
		Sewing Technology	1	M/s Bansal Uniform
56	Sohna	Welder	1	JBM Auto Limited
		Welder (Gas & Electric)	2	JBM Auto Limited
		Refrigeration & Air Conditioning Tech.	1	Subros Limited
57	Sirsa	Mechanic Motor Vehicle	1	Haryana Roadways, Sirsa
		Wireman	1	DHBVN, Sirsa
		Welder	1	HSF Food Pro Tech. Pvt. Ltd.
		COPA	1	Hartron Skill Center, Sirsa
		Mechanic Diesel	1	M/s R.P. Jhunthara Autowheels Pvt Ltd
58	Sirsa(W)	Sewing Technology	1	M/s Daya Ram Hosiery
		COPA	1	M/s Satya Information System
59	Tankri	Welder	1	Munjal Industries Limited, Bawal
60	Tohana	Carpenter	1	Archit Nuwood Industries Pvt. Ltd.
		Welder	1	Vishavkarma Engg. Works
		Fitter	1	M/s Vishavkarma Engg. Works
61	Unchamajra	Mechanic Diesel	2	Japan India Institute for Manufacturing, Unchamajra

		Welder	2	
		Mechnic Auto Body repair	2	
		Mechnic Auto body painting	2	
62	Yamuna Nagar	Electrician	1	M/s Royal Power Solutions Pvt. Ltd., Yamuna Nagar
		Wireman	1	
		Mechanic Tractor	1	
		Fitter	1	M/s Lark Engg. Private Ltd., Yamuna Nagar
		Fitter		M/s Oriental Engg. Works Pvt. Ltd.
		Machinist	1	M/s Dhamija Industries, Yamuna Nagar
				M/s Guru Amar Industry Ltd., Yamuna Nagar
		Turner	1	M/s Hydro Mechanik Engineer, Yamuna Nagar
				M/s Chopal Engineers Pvt. Ltd., Yamuna Nagar
		Welder	1	M/s Chanderpur Works Pvt. Ltd., Yamuna Nagar
		PPO	1	M/s Polyplastic Industries (India) Pvt. Ltd.
		Foundryman	1	M/s Metal Caste and Alloys Pvt. Ltd.
		Electroplator	1	M/s Polyplastic Industries (India) Pvt. Ltd.
		Fitter	1	M/s ISGEC Heavy Engineering Ltd., Yamuna Nagar

		Machinist	1	
		COPA	1	M/s Softwarw Solutions, Yamunanagar
		Total Units	280	
B) List of SCVT Trades under Dual System of Training 2022-2023 & 2022-2024				
Sr. No.	Name of GITI	Name of Trade for which MoU signed	No. of Unit	Name of Industry
1	Fatehpur Biloch	Machinist	1	M/s. SuryaShakti Vessels Pvt. Ltd
2	Bhirdana	Sewing Technology	1	M/s. Sunita Undergarments VPO:Jhalnia Fatehabad
3	Bapoli	Turner	1	Panipat Cooperative Sugar Mill Panipat
4	Barana	Electrician	1	Panipat Cooperative Sugar Mill Panipat
5	Hisar	Warehouse Technician	1	M/s.Rajasthan spare House, Hisar
		Motor Mechanic Vehicle	1	Telmore Automobiles Pvt Ltd. Hisar
6	Pali (Faridabad)	R&AC	1	M/s. Voltas Ltd. 12/7 Sarai Khwaja, Sector-37, Main Mathura Road, Faridabad
7	Panipat	Textile Wet Processing	1	M/s. Mahajan Overseas Pvt, Ltd Old Industrial Area. Panipat-132-103
		Spinning Technician	1	M/s. Mahajan Overseas Pvt, Ltd Old Industrial Area. Panipat-132-103
		Weaving Technician	1	M/s. Mahajan Overseas Pvt, Ltd Old Industrial Area. Panipat-132-103
8	Yamuna Nagar	Plywood Manufacturing	1	M/s Gopal Industries, Yamuna Nagar,
		Total	11	

- (i) Trainees admitted in DST trade units will attend practical training at the industry at their own cost. ITI/Department shall not bear to & fro transportation cost in DST cases.
- (ii) In view of the instruction/ approval of DGT, Gol any trade unit can be converted into DST at any instant.

Annexure-C

(List of 52 PPP Govt. ITIs in which additional IMC fee of Rs. 600 per month is applicable of 20% of total seats).

Sr. No	District	Govt. ITI name
1	Ambala	Govt. ITI Barara
2		Govt. ITI MC Ambala Cantt.
3	Bhiwani	Govt. ITI Bhiwani
4		Govt. ITI Bhiwani (W)
5		Govt. ITI Tosham (W)
6	Charkhi Dadri	Govt. ITI Charkhi Dadri(W)
7	Faridabad	Govt. ITI Pali
8		Govt. ITI Faridabad (W)
9	Fatehabad	Govt. ITI Tohana (W)
10	Gurugram	Govt. ITI Sohna
11		Govt. ITI Gurugram (W)
12	Hisar	Govt. ITI Adampur
13		Govt. ITI Barwala
14		Govt. ITI Nalwa
15		Govt. ITI Adampur (W)
16		Govt. ITI Hansi (W)
17		Govt. ITI Hisar (W)
18	Jhajjar	Govt. ITI Bahadurgarh
19		Govt. ITI Bhaprauda
20		Govt. ITI Bahadurgarh (W)
21		Govt. ITI Jhajjar (W)
22	Jind	Govt. ITI Jind (W)
23	Kaithal	Govt. ITI Kaithal
24		Govt. ITI Pundri
25		Govt. ITI Kaithal (W)
26	Karnal	Govt. ITI Ballah
27		GITI Nissing
28	Kurukshetra	Govt. ITI Kurukshetra
29		Govt. ITI Kurukshetra (W)
30	Mahendragarh	Govt. ITI Mahendergarh
31		Govt. ITI Narnaul
32		Govt. ITI Mahendergarh(W)

33		Govt. ITI Narnaul(W)
34	Nuh	Govt. ITI Ferozpur Zirka
35		Govt. ITI Nagina
36	Palwal	Govt. ITI Hathin
37	Panchkula	Govt. ITI Kalka at Bitna
38		Govt. ITI Kalka at Bitna(W)
39	Panipat	Govt. ITI Panipat(W)
40		Govt. ITI Samalkha(W)
41	Rewari	Govt. ITI Kund Manethi
42		Govt. ITI Rewari(W)
43	Rohtak	Govt. ITI Hassangarh
44		Govt. ITI Makrolikalan
45		Govt. ITI Meham
46		Govt. ITI Rohtak (W)
47	Sirsa	Govt. ITI Chautala
48		Govt. ITI Nathusari Chopta
49		Govt. ITI Sirsa (W)
50	Sonipat	Govt. ITI Gannaur
51		Govt. ITI Sonipat (W)
52	YamunaNagar	Govt. ITI Sadhora

ANNEXURE-D**LIST OF DEPRIVED SCHEDULED CASTES**

1. Ad Dharmi
2. Balmiki
3. Bangali
4. Barar, Burar, berar
- 5, Batwal, Barwala
6. Buria, Bawaria
7. Bazigar
8. Bhanjra
9. Chanal
- 10.Dagi
- 11, Daram
- 12.Deha, Dhaya' Dhea
- 1 3. Dhanak
14. Dhogri, Dhangri, Siggi
15. Dumna,Mahasha, Doom
16. Gagra
17. Gandhila, Gandil Gondola
- 1 8. Kabirpanthi, Julaha
19. Khatik
20. Kori,koli
- 21, Marija, Marecha
22. Mazhabi, Mazhabi Sikh
23. Megh.Meghwal
24. Nat, Badi
25. Od
26. Pasi
- 21.Perna
28. Pherera
29. Sanhai
- 30 Sanhal
31. Sansi, Bhedkut, manesh
32. Sansoj
33. Sapela, Sapera
34. Sarera
35. Siklingar, Bariya
36. Sirkiband

Annexure-E**List of seats reserved for females in GITIs covered under STRIVE Scheme.**

Sr. No.	District	STRIVE ITI Name	Trade Name	Type	Units	Seats
1	Ambala	GITI Barara	COPA	Non- Engg.	1	24
2	Ambala	GITI Barara	COPA	Non- Engg.	1	24
3	Ambala	GITI Barara	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
4	Fatehabad	GITI Tohana	COPA	Non- Engg.	1	24
5	Fatehabad	GITI Tohana	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
6	Fatehabad	GITI Tohana	SSA (English)	Non- Engg.	1	24
7	Hisar	GITI Barwala	COPA	Non- Engg.	1	24
8	Hisar	GITI Barwala	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
9	Jhajjar	GITI Bhaprauda	COPA	Non- Engg.	1	24
10	Jhajjar	GITI Bhaprauda	SSA (English)	Non- Engg.	1	24
11	Jind	GITI Jind	COPA	Non- Engg.	1	24
12	Jind	GITI Jind	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
13	Jind	GITI Jind	SSA (English)	Non- Engg.	1	24
14	kaithal	GITI Kaithal	COPA	Non- Engg.	1	24
15	kaithal	GITI Kaithal	Dress Making	Non- Engg.	1	20
16	kaithal	GITI Kaithal	Electrician	Engg.	1	20
17	kaithal	GITI Kaithal	Electronics Mech.	Engg.	1	24
18	kaithal	GITI Kaithal	Sewing Technology	Non- Engg.	1	20
19	kaithal	GITI Kaithal	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
20	kaithal	GITI Kaithal	SSA (English)	Non- Engg.	1	24
21	karnal	GITI Nissing	COPA	Non- Engg.	1	24
22	Kurukshetra	GITI Kurukshetra	COPA	Non- Engg.	1	24
23	Kurukshetra	GITI Kurukshetra	Dress Making	Non- Engg.	1	20
24	panchkula	GITI Kalka at Bitna	COPA	Non- Engg.	1	24
25	rewari	GITI Kund Manethi	COPA	Non- Engg.	1	24
26	rewari	GITI Kund Manethi	Sewing Technology	Non- Engg.	1	20
27	rewari	GITI Rewari	COPA	Non- Engg.	1	24
28	rewari	GITI Rewari	COPA	Non- Engg.	1	24

29	rewari	GITI Rewari	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
30	rohtak	GITI Hassangarh	COPA	Non- Engg.	1	24
31	rohtak	GITI Hassangarh	COPA	Non- Engg.	1	24
32	rohtak	GITI Hassangarh	H.S.I.	Non- Engg.	1	24
33	rohtak	GITI Meham	COPA	Non- Engg.	1	24
34	rohtak	GITI Meham	Electrician	Engg.	1	20
35	rohtak	GITI Meham	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
36	Sirsa	GITI Nathusari Chopta	COPA	Non- Engg.	1	24
37	Sirsa	GITI Nathusari Chopta	COPA	Non- Engg.	1	24
38	Sirsa	GITI Nathusari Chopta	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
39	Sonipat	GITI Gannaur	COPA	Non- Engg.	1	24
40	Sonipat	GITI Gohana	DMC	Engg.	1	24
41	Sonipat	GITI Gohana	Electrician	Engg.	1	20
42	Sonipat	GITI Gohana	Electronics Mech.	Engg.	1	24
43	Sonipat	GITI Gohana	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
44	Sonipat	GITI Sonipat	DMM	Engg.	1	20
45	Sonipat	GITI Sonipat	Electrician	Engg.	1	20
46	Sonipat	GITI Sonipat	Electronics Mech.	Engg.	1	24
47	Sonipat	GITI Sonipat	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
48	Sonipat	GITI Sonipat	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
49	Sonipat	GITI Sonipat	SSA (English)	Non- Engg.	1	24
50	Sonipat	GITI Sonipat	SSA (English)	Non- Engg.	1	24
51	Yamunanagar	GITI Sadhaura	COPA	Non- Engg.	1	24
52	Yamunanagar	GITI Sadhaura	COPA	Non- Engg.	1	24
53	Yamunanagar	GITI Sadhaura	SSA (Hindi)	Non- Engg.	1	24
Total					53	1236

Annexure-F

Fee structure in Govt. ITIs

(Amount in rupees)

	Boys				Girls			
	Haryana Domicile		Other State	Haryana Domicile		Other State		
	Normal Seat	IMC quota Seat	Normal Seat	IMC quota Seat	Normal Seat	IMC quota Seat	Normal Seat	IMC quota Seat
Security (Refundable)	300	300	300	300	300	300	300	300
Building fund (Non refundable)	120	120	120	120	120	120	120	120
Security fees for Library (Refundable)	25	25	25	25	25	25	25	25
Identity card (one time)	10	10	10	10	10	10	10	10
Student Fund @ Rs. 30/- per Month (Quarterly)	90	90	90	90	90	90	90	90
Admission Fee (to be charged at the time of admission in Govt. ITIs) Tuition fees (To be charged Quarterly) @ Rs. 15/- per month (for Haryana domicile only) (Girls exempted) @ Rs. 300/- is applicable to non Haryana domicile candidate.(Girls exempted) Additional monthly fees of Rs.600/- per month is applicable on IMC quota seats.(Girls exempted)	45 (15x3)	45+1800 (600x3)= 1845	900 (300x3)	1800+900 = 2700	0	0	0	0
Total	590	2390	1445	3245	545	545	545	545

INCOME CERTIFICATE

**OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) / EXECUTIVE
MAGISTRATE**

As reported by Tehsildar/Naib Tehsildar, the annual income of Sh. -----
----- Father /Husband of Sh./Smt.-----Resident of -----
----- from all sources is Rs. ----- (Rupees-----
-----)

Place:

Date:

Sub Divisional Officer (C) / Executive
Magistrate.

NOTICE**FOR ATTENTION OF ADMISSION SEEKERS TO NATIONAL COUNCIL
FOR VOCATIONAL TRAINING (NCVT) APPROVED TRADES IN Govt.
/Private ITIs.**

All admission seekers to NCVT approved various trades (Engineering/Non-Engineering), are advised in their own interest that they should confirm and satisfy themselves before seeking admission to any trade that the trade / unit in the Industrial Training Institute (Govt.) / Industrial Training Institute (Pvt.) {GITIs/PITIs} is affiliated to NCVT. The students of trades / units which are NCVT affiliated on the date of admission are only eligible for appearing in All India Trade Test for the award of National Trade Certificate.

The List of affiliated trades / units is available with respective institutes and respective State Directorates.

It is also informed in the interest of general public that NCVT/Govt. of India do not recognize any GITI / PITI. NCVT affiliates only the trades and its units run by a particular GITI/PITI.

Deputy Director General (Training)
Dated:-DGT, Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India

संस्थान में रैगिंग करना, धूम्रपान करना व बिना मास्क रहना दंडनीय अपराध है।
संस्थान में प्रशिक्षण रत सभी छात्र-छात्राएं अपने साथ सेनेटाईजर रखें।



JOIN THE DUAL SYSTEM OF TRAINING



58% प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा होने से पहले नौकरी मिली



6 Month
ITI

4 Month
INDUSTRY

2 Month
ITI

12 महीने का कैलेंडर चित्रण

प्रशिक्षुओं को Dual system of training (DST) से लाभ



प्लेसमेंट की संभावना बढ़ाइये



ITI प्रशिक्षण के दौरान पैसे कमाएँ*



उद्योग में नवीनतम टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग करें

*चयनित आईटीआई और उद्योग के बीच समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार

काउंसलिंग के दौरान DST Unit कैसे खोजें?
अपनी पसंद के ITI में उपलब्ध DST unit को देखने के लिए "choice of trade" अनुभाग में "Dual Mode" खोजें

आज ही <https://itiharyana.gov.in> पे जाएं और अपनी पसंद का DST Trade का चयन करें



हरियाणा राज्य में आई0टी0आई0 पास उम्मीदवारों को अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। हरियाणा राज्य में इस कार्यक्रम में भारत सरकार से **Champion of Change 2017 Award** प्राप्त किया है। इस समय भी हरियाणा राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है।